



काशीलय प्राचार्य, चन्द्रपाल ददसेना शासकीय महाविद्यालय
पिथौरा, जिला - महाराजगढ़ (छ.ग.)

Affiliated To Pandit Ravishankar Shukla University Raipur

Email ID - govtcollege.pithora@gmail.com

Website - www.govtcollegepithora.ac.in

Phone No. 07767-299373

College Code - 354



No.142/A/2022-23

Date . 1.7.22

//Order//

In Chandrapal Dadsena Govt. College Pithora following posts are sanctioned through Chhattisgarh Government of higher education But for the shortage of positions in some subjects, the meeting is taken by Janbhagidari management & decided to sanctions the following posts through Janbhagidari/self finance positions :-

S.N.	SUBJECT	SANCTIONED THROUTH HIGHER EDUCATION CHHATTISGARH	SANCTIONED THROUTH JANBHAGIDARI POSITIONS
1.	Hindi	1 Post A.P., 1 Post Professor	2 Post J.B.S.
2.	English	1 Post A.P.	1 Post J.B.S.
3.	History	1 Post A.P.	1 Post J.B.S.
4.	Political Science	2 Post A.P.	1 Post J.B.S.
5.	Sociology	1 Post A.P.	1 Post J.B.S.
6.	Economics	1 Post A.P.	-
7.	Commerce	1 Post A.P.	1 Post J.B.S.
8.	Mathematics	1 Post A.P.	-
9.	Physics	1 Post A.P.	-
10.	Chemistry	1 Post A.P.	-
11.	Botany	1 Post A.P.	-
12.	Zoology	1 Post A.P.	-
13.	D.C.A. & P.G.D.C.A.	1 Post A.P.	1 Post J.B.S.

Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora
Dist. Mahasamund (C.G.)

Chandrapal Dadsena Govt. College Pithora
Dist - Mahasamund (C.G.)

Copy :-

It is informed to President Janbhagidari management Chandrapal Dadsena Govt. College Pithora Dist- Mahasamund (C.G.)

Principal
Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora
Dist. Mahasamund (C.G.)

Chandrapal Dadsena Govt. College Pithora
Dist - Mahasamund (C.G.)

2005

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं जनशक्ति विकास विभाग,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्यालय

संख्या: एच-3/2005/5004/24
प्रति

सकल दिनांक 30-11-2005

आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग,
रायपुर छ.ग.

विषय- उच्च शिक्षा विभाग के विद्वानों के माध्यम से (आवधिक्य मूल्यांकन) के रोटेशन के
सम्बन्ध में।

राज्य शासन द्वारा सलान सूची में दर्जित अन्तर्गत अन्तरीय सलान सूची में, आधिक्य
मूल्यांकन के लिए कुल 4551 पदों के रोटेशन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्थाओं
की सूची सलान पत्रिका में है। स्वीकृति की शर्त निम्नानुसार होगी -

1. रोटेशन में अर्हता प्राप्त पदों के रोटेशन की पूर्णता कर ली गई है।
2. आयोजना के सभी पद अस्थायी एवं आधुनिकीकरण के सभी पद लाने होंगे।
3. उक्त संस्थाओं हेतु पद निर्माण सम्बन्धी सभी पूर्व आदेश स्वयंसेवक अधिकृत मने
जायेंगे।
4. पदों को भरने के लिए प्रस्ताव पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजे जायें।
5. विभागीय भर्ती विभागों में आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा।

यह स्वीकृति अन्तरीय शासन वित्त विभाग के मू.आ. क्रमांक 537/1245/ वि.वि.
विभाग/स-3/2005, दिनांक 10/11/2005 के द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की
गई है।

संलग्न :- स्वीकृत रोटेशन की प्रतियाँ।

अन्तरीय शासन के सलान के नाम से
संस्था आदेशानुसार



26/11/05
(जी.डी. गुप्ता)
उप सचिव
अन्तरीय शासन

Principal
Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Distt. Mahasamund (C.G.)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग



CHANDRAPAL DASENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT - MAHASAMUND (CHHATTISGARH) - 493551

Registered under section 12(B) & 13(B) of UGC Act Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website: www.chandrapalcollegepithora.org Email: chandrapalcollegepithora@gmail.com Phone No. 07807-399171

In 2005 1 post sanctioned for Principal, 1 Professor & 6 post sanctioned for Assistant Professor

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		अवधि
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
4	सहा. प्रा. राजनीति	8000-13500		1	10.10.19
5	सहा. प्रा. समाजशास्त्र	8000-13500		1	10.10.19
6	सहा. प्रा. इतिहास	8000-13500		1	10.10.19
7	सहा. प्रा. अंग्रेजी	8000-13500		1	10.10.19
8	कीर्तिधिकारी	8000-13500		0	10.10.19
9	अध्यक्ष	8000-13500		1	10.10.19
10	सहायक सेक - 2	4000-6000		1	10.10.19
11	सहायक सेक - 3	3050-4590		2	10.10.19
12	मुक्त	2550-3200		2	10.10.19
13	बुक्सिप्लर	2550-3200		1	10.10.19
14	टीचीयर	2550-3200		1	10.10.19
15	रवीपर	2550-3200		1	10.10.19
	योग :-			16	

24. शास. महा., पिथोरा जिला - महासमुन्द

सांख्यिक-44-2202-03-(103)(198) - आयोजक/आयोजनी

1	प्रार्थी	12000-18300			
2	प्रार्थी, इतिहास	12000-18000			
3	सहा. प्रा. अंग्रेजी	8000-13500		1	
4	सहा. प्रा. समाजशास्त्र	8000-13500		1	
5	सहा. प्रा. राजनीति	8000-13500		1	
6	सहा. प्रा. समाजशास्त्र	8000-13500		1	
7	सहा. प्रा. इतिहास	8000-13500		1	
8	सहा. प्रा. हिन्दी	8000-13500		1	
9	अध्यक्ष	8000-13500		1	
10	कीर्तिधिकारी	8000-13500		1	
11	सहायक सेक - 2	4000-6000		1	
12	सहायक सेक - 3	3050-4590		2	

Chandrapal Dasena
College
Pithora
Dist. Mahasamund



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT - MAHASAMUND (CHHATTISGARH)-
493551

Registered Under section 12(B) & 12(C) of UGC, as Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website: www.gdccollegepithora.org, e-mail: gdccollegepithora@gmail.com Phone No. - 03364-299373

पुस्तक एवं 1-25/2007/38
प्रतिलिपि -

रायपुर, छत्तीसगढ़

1. पुस्तकालय, पुस्तकालय, रायपुर
2. निम्न सहायक: माधनीय एडी जी, उच्च शिक्षा, नगरपालिका, रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, निदेश विभाग, रायपुर ।

प्रति,

उप सचिव 26/11/07

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशिक्षा विभाग
विभाग एवं प्रशासकीय विभाग


Principal
Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Dist-Mahasamund(C.G.)



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT- MAHASAMUND (CHHATTISGARH)- 493551

Registered Under sections (2F) & (12B) of UGC Act Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website-www.govt.collegepithora.org Email- govt.collegepithora@gmail.com Phone No - 07707-299171

2012

राष्ट्रीय शिक्षा दिनांक
राष्ट्रीय शिक्षा दिनांक

राष्ट्रीय शिक्षा दिनांक
राष्ट्रीय शिक्षा दिनांक
राष्ट्रीय शिक्षा दिनांक
राष्ट्रीय शिक्षा दिनांक



क्रमांक
प्रति

/एफ 3-21/2011/38-1

रायपुर, दिनांक /02/2012

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छत्तागढ़)।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के मुख्य बजट में सम्मिलित महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम/ विषय प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/ स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम/ विषय प्रारंभ करने हेतु 110 पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अनु. क्र.	महाविद्यालय का नाम	मदीन विषय/ पाठ्यक्रम									
		स्नातक	स्वीकृत पद				स्नातकोत्तर	स्वीकृत पद			
			अध्यक्ष	सहा. अध्यक्ष	पदो. तकनी	पदो. पढ़ाई		अध्यक्ष	सहा. अध्यक्ष	पदो. तकनी	पदो. पढ़ाई
1	राज्य दूरदर्शन कक्षा महाविद्यालय रायपुर	-	-	-	-	-	एच.एच.एच. प्रो.	1	1	1	2
2	राज्य शासकीय महाविद्यालय रायपुर	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय कापी एवं नगिन गुरु (नगिन, भौतिक, रसायन, प्राणी, मनःशास्त्र) प्रत्येक विषय की लिए 1-1 सहा. अध्यापक	-	2	3	3	-	-	-	-	-
3	राज्य शासकीय महाविद्यालय रायपुर	बी.एस.सी. विज्ञान संकाय कापी एवं नगिन गुरु (नगिन, भौतिक, रसायन, प्राणी, मनःशास्त्र) प्रत्येक विषय की लिए 1-1 सहा. अध्यापक	-	2	3	3	-	-	-	-	-

Principal

Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Dist-Mahasamund (C.G.)

निरंतर ...



Registered Index: 101100 (FF), 6, 11 (PH), 101110 (F). *Not Affiliated to pt. Rastachukae Senzoku (University of Kyoto, F. J.)*

Website: www.grievancesolving.com E-mail: info@grievancesolving.com Phone: 1-811-259-3111

In 2012, 2 new post sanctioned for Asst. Prof. commerce

2/- उपर्युक्त प्रश्न नाम संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोग-2202-सामान्य शिक्षा-(03)
विश्वविद्यालयीय और उच्च मध्य शिक्षा-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोग-1(03)-सरकारी कॉलेज और
संस्थाएं-700-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोग-मद के अंतर्गत
विकसनीय होगा।

Chandrapal Dadasena Govt.
College Pithorla.
Dr. H. Maheshwari, P.T.C. G-1

निरंतर

CHEN)



**CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT- MAHASAMUND (CHHATTISGARH)-
491551**

Registered Under section 12(B) & 12(B)(i) of U.C.E. Act Affiliated to pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website- www.chandrapalcollegepithora.org Email- chandrapalcollegepithora@gmail.com Phone No. 03102 291171

5/- पद के अनुरूप वेतनमान निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनबैज	ग्रेड वेतनमान
1	प्राध्यापक	37400-67000	10000
2	सहायक प्राध्यापक	15600-30100	6000
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200	2400
4	प्रयोगशाला परिचारक	5200-20200	1800

(गोपाल सिंह)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 03/02/2012

पू0 क्रमांक 356 / एफ 3-21/2011/38-1
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजमवन रायपुर छ0ग0।
 2. विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
 3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके सू0ओ0 क्रमांक 384/0000860/वित्त विभाग/ब-3/2011, दिनांक 09-12-2011 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
 4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 5. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर।
 6. संबंधित जिला-कोषालय अधिकारी _____।
 7. संबंधित प्राचार्य, _____।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. आदेश फोल्डर।


Principal
Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Distt-Mahasamund(C.G.)


(गोपाल सिंह)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT - MAHASAMUND (CHHATTISGARH) - 493551

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC, affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website-www.dadsena.org Email - dadsena.pithora@gmail.com Phone No. - (07817-299133)

In 2016, 5 new Asst. Prof. post sanctioned, apart from that 2 lab technician & 2 lab attendant post also sanctioned

		11/2/11		संशोधन एवं प्रयोगशाला तकनीक		
क्र.	नाम	पद	विषय	संशोधन एवं प्रयोगशाला तकनीक	प्रयोगशाला तकनीक	प्रयोगशाला तकनीक
1	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	6	7
2	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
3	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
4	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
5	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
6	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
7	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
8	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
9	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
10	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
11	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
12	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
13	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
14	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
15	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
16	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
17	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
18	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
19	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2
20	श्री. श्री. सुधीर शर्मा	डी.एस.सी.	भौतिकी	1	2	2

Principal
Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Distt-Mahasamund (C.G.)



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT- MAHASAMUND (CHHATTISGARH)- 491551

Registered under section (21) & (12B) of UGC act Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website- www.gdcchcollegepithora.org Email- gdcchcollegepithora@gmail.com Phone No. - 07701-299171

टीकृति करने होने में विद्यार्थी को देखते हुए आदेसित किया जाता है कि संविधान महाविद्यालय में सम्पन्न विद्यार्थी/समाज/संस्थाओं को इसी संवत् 2016-17 में प्रवेश किया जाये तथा प्रवेश अधिकार पूर्ण करने के लिए 31.08.2016 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।

यहाँ टीकृति विद्या विभाग के सूचना क्रमांक एक 2016.38.00827/म-3/प्रान्त दिनांक 04.08.2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जारी की जा रही है।

छात्रीसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम

राधा आदेशानुसार

(Signature)
श्री राधेश्वर शिखी

राज्य संपर्क अधिकारी व प्रदेश
उप सचिव, छ.ग. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

संयुक्त दिनांक: 12/08/2016

संयुक्त दिनांक: 12/08/2016

01. छात्रीसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक
02. मातृसंघ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
03. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मन्दा सायपुर, छ.ग.
04. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
05. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
06. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
07. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
08. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
09. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
10. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
11. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
12. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
13. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
14. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.
15. मातृसंगठ के अध्यक्ष/सचिव के नाम, संयुक्त दिनांक, मन्दा सायपुर, छ.ग.

(Signature)
Principal

Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Dist-Mahasamundi (C.G.)

(Signature)
राज्य संपर्क अधिकारी व प्रदेश
उप सचिव, छ.ग. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



2017

M.A. English programme Introduced in 2017

प्रतीपद शासन
उच्च शिक्षा विभाग
राज्यपालिका
महानदी मण्डल, रायपुर

No.: L-2017-22-3134
AD: 30.11.17
Section: मोपन/पत्र
4 NOV 2017 C.H.E.

क्रमांक एफ 3-55/2015/30-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 2/11/2017

आगुका
उच्च शिक्षा संसाधनालय,
इंद्रावती मण्डल,
महा रायपुर।

विषय :- वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने बाबत।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्र. एफ 3-55/2017/38-1, दि. 20.09.2017 द्वारा आदेश दि. 22.08.17 के वितरण के संदर्भ में।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्यावार स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन कक्षाएं/विषयों को निम्नलिखित तालिका में दर्शित महाविद्यालयों के मांग के समक्ष उल्लेखित पत्र/विषय प्रारंभ करने की अनुमति के साथ-साथ स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित पदों के वितरण आदेश दिनांक 20.09.2017 को निरस्त करते हुए स्तम्भ क्र. 04 में दर्शित पदों को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

मांग संख्या - 44

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	2	3	4	5
01	शासकीय महाविद्यालय भवारा, जिला धमतारी (उ.ग.)	एच.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	01	25
		एच.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
02	राज्य गुरु शासकीय शासकीय स्नातको महावि. कुरुद जिला धमतारी	एच.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी	01	30
03	शासकीय निरंजन ऊर्जाशाली महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर	एच.एस.सी.	01	30
04	शासकीय जे.पी.ओ.नरसिंह जी महाविद्यालय, रायपुर	एच.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	30
		एच.एस.सी. मानव विज्ञान	01	20
		एच.एस.सी. भौतिकशास्त्र	01	20
05	शासकीय महाविद्यालय खुसीवार, मिलाई, जिला-दुर्ग	एच.एस.सी. राजनीतिशास्त्र	01	30
		एच.एस.सी.	01	25
		एच.एस.सी. गणित	01	20
06	शासकीय कोल्हटी कान्हा महाविद्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़	एच.एस.सी. गणित	01	20

C1132779

कचहरी चंद्रपाल शासकीय
महाविद्यालय पितोरा
दिनांक 2/11/2017



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT - MAHASAMUND (CHHATTISGARH) - 491551

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC as Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website: www.dgpcg.ac.in Email: dgpcg@rediffmail.com Phone No. - 03101-2991178

1 Post sanctioned for English Professor in 2017

09	शासकीय महाविद्यालय, जयपुर, जिला-राजसूंदरपुर	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
08	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
07	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
06	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
05	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
04	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
03	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
02	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
01	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
11	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
12	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
13	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
14	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
15	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
16	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25

मांग संख्या - 41

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृति प्राप्त संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
3	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
4	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
5	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
6	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25

मांग संख्या - 44

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृति प्राप्त संख्या
1	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
3	शासकीय महाविद्यालय, गिरधौर, जिला-कोटा	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25

मांग संख्या - 47

मांग संख्या - 47



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT- MAHASAMUND (CHHATTISGARH)
491551

Registered Under section 12(B) & 12(C) of UGC as Affiliated to pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website-www.dgshuklauniversity.ac.in Email- dgshuklauniversity@gmail.com Phone No. 07707 299373

2020

M.A. Political Science programme introduced in 2020

प्रतीसपद शासन
संघ शिक्षा विभाग
= भंडालय =

महानदी मण्डल, नया रायपुर, नया रायपुर

No. 10/11-2020-241
Date 25/03/2020
Section 10/11-2020-241

क्रमांक एफ 3-10/2019/38-1
प्रति,

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2020

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रायती भवन,

नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर।

विषय :-

प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति।

राज्य शासन, प्रदेश के निम्नलिखित 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु सहायक प्राध्यापक के 45 अतिरिक्त पद पेशानमान अकादमिक केतन लेवल-10 में निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	मंडल का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सीट संख्या	सहायक प्राध्यापक	कुल पद
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. दुधामारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महा. रायपुर	पीजीडीसीए/ डिप्लोमा	कम्प्यूटर एप्लीकेशन योग	20 20	1 1	1 1
2	शासकीय पद सत्तनारायण अणुवाल महाविद्यालय तिल्ला नैकहा कीहड़ा	एम.ए.	राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र	20 20	1 1	1 1
3	शासकीय काकड़गढ्याण्ड डीरालगा महाविद्यालय अननपुर	एम.बी.ए. एम.एस.सी.	वणिज्य जनसंघर्ष शास्त्र	20 20	1 1	1 1
4	शासकीय महाविद्यालय नवापारा गोबराबाड़ा	एम.ए.	भूगोल हिन्दी साहित्य	20 20	1 1	1 1
5	शासकीय पी.जी.राय कलमण्डल महाविद्यालय बरौतमंडाबाड़ा	एम.एस.सी. एम.एम.एम.	प्रशासनिक विधि	20 20	1 2	1 2

CH/10/11-2020-241

Entered in
BMS
27/3/20

सहायक प्राध्यापक
महाविद्यालय
विश्वविद्यालय



CHANDRAPAL DABSEGA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT - MAHASAMUND (CHHATTISGARH) - 493551

Registered Under section 22(F) & (12B) of 1956 & Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.
 Website: www.chandrapalcollegepithora.org Email: chdpc@chdpc.org Phone No. - 03102-292323

1 Post sanctioned for Asst. Prof. Political Science in 2020

1	2	3	4	5	6	7
6	राजकीय शास्त्रात सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय पाठ्य शिक्षा दुर्ग	एम.एस.सी. एम.एस.सी.	नैतिक शास्त्र अर्थशास्त्र	20 20	1 1	1 1
7	राजकीय राजीव मोहन महाविद्यालय राजीव	एम.एस.सी. एम.एस.	राजकीय शास्त्र सामाजिक शास्त्र	20 20	1 1	1 1
8	राजकीय महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.सी. एम.एस.सी.	नैतिक शास्त्र नैतिक शास्त्र	20 20	1 1	1 1
9	राजकीय शास्त्रात सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय	एम.एस. एम.एस.सी.	भूगोल भूगोल	20 20	1 1	1 1
10	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.	राजकीय शास्त्र	20	1	1
11	राजकीय शास्त्रात सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय	एम.एस.सी. एम.एस. एम.एस.	राजकीय शास्त्र अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्र	20 20 20	1 1 1	1 1 1
12	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस. एम.एस.सी.	राजकीय शास्त्र सामाजिक शास्त्र	20 20	1 1	1 1
13	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.सी.	राजकीय शास्त्र	20	1	1
14	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.	राजकीय शास्त्र	20	1	1
15	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.	राजकीय शास्त्र	20	1	1
16	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.	राजकीय शास्त्र	20	1	1
17	राजकीय सामाजिक शास्त्रात महाविद्यालय सामाजिक शास्त्रात	एम.एस.सी. एम.एस.सी. एम.एस.	राजकीय शास्त्र राजकीय शास्त्र राजकीय शास्त्र	20 20 20	1 1 1	1 1 1

संस्थापक प्राचार्य
 महाविद्यालय पितोरा
 चन्द्रपाल दाबसेगा



CHANDRAPAL DADASENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT- MAHASAMUND (CHHATTISGARH)- 493551

Registered Under section (2F) & (12B) of MGE, as Affiliated to Pt. Bhabhanagar Shiksha University Raipur, C.G.

Website-www.chandrapalcollegepithora.org.in Email- chandrapalcollegepithora@gmail.com Phone No. - 03102 299333

1/1/1

- (स) सरल क्रमांक 23 से 25 तक के पट्टी हेतु मांग संख्या-64, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शटक योजना-220-सामान्य शिक्षा -03, -विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थान-(0103)-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शटक योजना (750)-सर्व शिक्षा अभियान तथा माणिक्य महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति उपयोजना, जापोजना के अन्तर्गत।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग फाइल क्रमांक 328/वित्त विभाग /न-3/2020, दिनांक 19-03-2020 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

(सरोज चहल)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

क्रमांक एक 3-10/2019/38-1

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2020

प्रतिनिधि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर,
 2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/अमिकापुर, कृपया अपने से संबंधित महाविद्यालय को उक्त स्वीकृति से अवगत करावें।
 4. समस्त जिला कोषालय अधियोगी, छत्तीसगढ़
 5. आदेश फोल्डर
- की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु असेपित।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

CHL/000

सं-दस्तावेज संख्या-10/2019/38-1
प्रमाणित, एवं जारी किया
दिनांक 25/03/2020

आ: उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि कदाचरण के कारण या उसकी विधिगत प्रकृति पर निचले पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

5 अवकाश के आधार पर पद से अधिकतम अनुपस्थिति—

कोई भी शासकीय सेवक को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। इससे अधिक काल अवधि के विषय में निर्णय परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर, राज्यपालन ले सकते हैं। (मूल नियम 18)

टिप्पणी—कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहना, जो अवकाश स्वीकृत द्वारा स्वीकृत ही है, समस्त प्रयोजनार्थ जैसे वेतन वृद्धि एवं अवकाश हेतु "मृत-दिवस" माने जावेगी। [वित्त विभाग क्र. 245-2038-76/नि-1/चार, दिनांक 9-3-1977]

6 परिवीक्षा काल की समाप्ति पर कार्यवाही—

सीधी भरती से नियुक्त जब किसी व्यक्ति को सेवा शर्तों के अधीन परिवीक्षा पर रखा जाता है, तब परिवीक्षा अवधि व्यतीत हो जाने के बाद यदि उसने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है एवं विभागीय परीक्षा यदि कोई निर्दिष्ट हो उसने उत्तीर्ण कर लिया हो, तब ऐसे शासकीय सेवक को स्थाई कर देना चाहिए। अगर उसके संस्करण के लिए कोई पद रिक्त न हो तब ऐसा प्रमाण पत्र उस शासकीय सेवक के हित में जारी किया जाना चाहिए कि स्थाई पद के उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नाधीन शासकीय सेवक को स्थाई नहीं किया जा रहा है एवं जैसे ही ऐसा पद उपलब्ध होगा संस्करण कर दिया जावेगा। इससे उसे देय वेतनवृद्धि बाधित नहीं होगी। अगर परिवीक्षा काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद किसी को स्थाई नहीं किया गया है, तब उसे अस्थायी रूप से नियुक्ति मान लिया जावेगा तथा उसकी सेवा "अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम, 1960" से विनियमित होगी।

टिप्पणी—(1) परिवीक्षाधीन काल का तात्पर्य—परिवीक्षा काल को व्हार्टन के लॉ लेक्सिकान (Wharton Law Lexicon) के त्तरहवे संस्करण में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार परिवीक्षाधीन काल किसी शासकीय सेवक के सेवाकाल में वह अवधि है जिसमें उसकी अंतिम नियुक्ति (Final appointment) तब तक बाधित रहती है जब तक इस अवधि में उसके द्वारा किए गए आचरण के आधार पर उसे स्थाई रूप से नियुक्ति हेतु योग्य न घोषित कर दिया जावे। साथ ही, इस अवधि में वैधानिक रूप से ऐसे शासकीय सेवक को परिवीक्षाधीन अधिकारी कहा जाता है। [नन्द शंकर वि. राज्यपाल राज्य, AIR 1957 Raj 148 at 149]

(2) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा पर तब तक रहेगा जब तक कि नियोक्ता द्वारा नियुक्ति बाबत स्थाई/अस्थायी आदेश जारी नहीं किया जाता—परिवीक्षा अवधि के समाप्ति के उपरान्त भी, परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक,

परिवीक्षा पर ही तब तक माना जावेगा जब तक नियोक्ता द्वारा उसे अंतिम नियुक्ति जारी नहीं किया जाता। [एक्सप्रेस न्यूज पेपर लि. वि. श्रम न्यायालय, मद्रास, (1964) 1 Lab LJ 9; AIR 1964 SC 806]

(3) परिवीक्षा के उपरान्त स्थाईकरण—परिवीक्षा अवधि के समाप्ति के तब ही स्वतः स्थाईकरण नहीं होता है एवं न तो डोम्ड स्थाईकरण का कोई वैधानिक आग्रह है। इस विषय में नियोक्ता द्वारा जारी स्पष्ट आदेश से ही किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को स्थाई नियुक्ति हो सकती है। [यूनिर्सिपल कार्पोरेशन, रायपुर वि. अशोक कुमार मिश्रा, 1991(3) SCC 325]

(4) किसी पद पर नियुक्ति परिवीक्षाधीन अधिकारी का उस पद पर कोई अधिकार स्थापित नहीं होता—कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी को अगर किसी पद पर पदस्थ किया गया है तब मात्र इस पदस्थापना से उस पद पर ऐसे अधिकारी का कोई अधिकार स्थापित नहीं होता। इसके विपरीत, ऐसा अधिकारी इस अवधि में सतत परिरक्षण के अधीन रहता है। यह अवधि नियोक्ता को 'a laws poenitentiae' प्रदान करता है। जिसका तात्पर्य यह है कि नियोक्ता कभी भी एवं किसी समय पर ऐसे शासकीय सेवक को उस कार्य से विमुख कर सकता है। [अजीत सिंह वि. पंजाब राज्य, AIR 1983 SC 494; 1983(46) FLR 407 (SC)]

7. वरिष्ठता का निर्धारण (Finalisation of Seniority) —

(1) 'कर्मचारी के वरीयता' का तात्पर्य—उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी सेवा संवर्ग में किसी कर्मचारी के वरीयता को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी शासकीय सेवक की वरीयता उसके उस सेवा संवर्ग में सेवा का वह काल खण्ड है, जो उसके नियमित नियुक्ति दिनांक से निर्धारित होता है। [यूनिशन ऑफ इंडिया वि. एल.एस. राव, AIR 2001 SC 1792]

(2) एडहोक नियुक्ति की अवधि की गणना वरिष्ठता निर्धारण में नहीं की जावेगी—एडहोक रूप से नियुक्त व्यक्ति को न तो नियमित रूप से लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति के ऊपर वरीयता दी जावेगी एवं नहीं, इन्हें नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता सूची में स्थान ही दिया जावेगा। [विजय कुमार जैन वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1992 Supp (2) SCC 95]

3. सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कर्मचारियों की वरिष्ठता—(i) किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पद ग्रहण की दिनांक का विचार किए बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जावेगी, जिस क्रम में उसकी नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन से नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

वेतन निर्धारण

(Pay Fixation)

1. वेतन की परिभाषा—

वेतन का आशय, किसी शासकीय कर्मचारी को, उसके नियोक्ता द्वारा प्रतिपादित देय उस धनराशि से है जो उसे उस पद पर मौलिक या स्थानापन्न रूप से कार्य करने के कारण अथवा संवर्ग में रहने के कारण प्राप्त होता है। वेतन में निम्नांकित शामिल हैं—

- (1) वेतन,
- (2) तकनीकी वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या समुद्रपार वेतन,
- (3) शासन द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत अन्य उपलब्धि।

[मूल नियम 9(21)]

2. वेतन निर्धारण—

वेतन निर्धारण निम्न परिस्थितियों के कारण निर्मित होती है एवं किया जाना आवश्यक होता है—

- (1) शासकीय कर्मचारी के मौलिक या स्थापान्न रूप से प्रथम नियुक्ति होने पर।
- (2) जब शासकीय कर्मचारी स्थानान्तरण द्वारा एक पद से दूसरे पद पर मौलिक या स्थापान्न रूप से नियुक्त होता है।
- (3) जब प्रचलित वेतनमान संशोधित कर नया वेतनमान लागू होता हो।
- (4) किसी शासकीय सेवक के पदोन्नत होने के कारण पदोन्नत वेतनमान लागू करने के लिए।
- (5) सेवा में व्यवधान फलस्वरूप पुनर्नियुक्ति पर।
- (6) जब मूल वेतन, वेतन-वृद्धि या अन्य किसी कारण से स्थापान्न वेतन से अधिक हो जाने और वेतन निर्धारण शासकीय कर्मचारी के लिए लाभप्रद हो।
- (7) जब कोई शासकीय सेवक दण्ड स्वरूप कनिष्ठ पद पर पदावनत हो।

वेतन वृद्धि (Increment)

1. वेतन वृद्धि—

किसी शासकीय सेवक के वेतन में एक निश्चित अन्तराल में की जाने वाली वृद्धि को वेतन वृद्धि कहते हैं। शासकीय सेवा में यह निश्चित अन्तराल एक वर्ष का होता है अतः इसे वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है। वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष एक निश्चित तिथि को जारी की जानी चाहिए जब तक कि किसी कारणवश उसे रोकी न गई हो।

[वित्त विभाग क्र. जी-22/6/94/सी-चार, दिनांक 29-8-1996
एवं संशोधित मूल नियम 24]

2. वेतन वृद्धि की तिथि माह की पहली तारीख—

(i) सामान्य नियमों एवं तत्सम्बन्धी आदेशों के अधीन शासकीय सेवको, उनके पद के वेतनमान में प्राप्त होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि जिस महीने के किसी तारीख को देय हो, तब उसी महीने की पहली तारीख को वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। असाधारण अवकाश या पदोन्नति के कारण अगर वेतनवृद्धि का दिन परिवर्तित रहा हो तब भी उस माह के प्रथम दिवस को वेतन वृद्धि जारी होनी चाहिए, जिस माह में परिवर्तित वेतनमान में देय हो रही हो।

[वित्त विभाग क्र. डी/10-10/नि-1/चार/74, दिनांक 10-9-1974]

(ii) यदि किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति उसी माह में की जा रही हो, जिस माह में निम्न पद की वेतन वृद्धि देय हो तब उस परिस्थिति में पहले निम्न पद की वेतन वृद्धि दी जावेगी, तदुपरान्त उच्च पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा।

(iii) यदि कोई कर्मचारी वास्तविक वेतन वृद्धि के माह की पहली तारीख से वेतन वृद्धि के दिनांक तक अवकाश पर है, तब वेतन वृद्धि का लाभ अवकाश से लौटने पर देय होगा। [वित्त विभाग क्र. 1180/1776/70/नि-1/चार, दिनांक 14-7-1979]

अग्रिम वेतन वृद्धियाँ

(Advance Pay Increment)

1. अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हेतु सक्षम प्राधिकारी—

किसी शासकीय सेवक को वेतन के समयमान में समय से पूर्व वेतन वृद्धि अपने सामान्य या विशेष आदेश के अधीन नियुक्तकर्ता अधिकारी (Appointing authority) स्वीकृत कर सकते हैं।

टिप्पणी—(1) मूलभूत नियम 27 के प्रावधानों के अधीन पूर्व में किसी शासकीय सेवक को समयमान वेतन में समय से पूर्व वेतन वृद्धि का अधिकार उस अधिकारों में निहित था, जो उसी वेतनमान में नए पद स्वीकृति करने के लिए सशक्त था। परन्तु इस मूलभूत नियम 15 में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जी-30/1/95/सी/चार दिनांक 30.12.95 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन के आधार पर ही, अब अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी में निहित किया गया है।

(2) वर्तमान में पद निर्माण करने का अधिकार किसी भी प्राधिकारी को नहीं है।

टिप्पणी—किसी शासकीय सेवक द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप बार-बार अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत नहीं की जावेगी। अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत किया जाना यह मात्र एक प्रोत्साहन है।
[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी-2-2/92/3/1, दिनांक 18-11-1992]

3. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धियाँ—

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस विषय में नवीन परिपत्र क्र. एफ 6-1/2002/1-3, दिनांक 7-10-2015 जारी किया गया है, जो इस प्रकार है—

- (1) यदि पति/पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं, तो जो नसबन्दी कराएगा उसको लाभ मिलेगा।
- (2) पत्नी की आयु 45 वर्ष से अधिक है, तब लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (3) जो कर्मचारी वेतनमान के अधिकतम पर है या उन्हें गतिरोध भत्ता प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर लाभ प्राप्त होगा तथा यह व्यक्तिगत माना जावेगा, जो पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए गणना में शामिल नहीं होगा।
- (4) कार्यभारित सेवा के सदस्यों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- (5) यदि एक जीवित बच्चे के पश्चात् जुड़वा बच्चों का जन्म लेते हैं जिससे दो बच्चों की सीमा पार कर जाती है, ऐसी स्थिति में भी नसबन्दी कराने पर एक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।
- (6) यदि प्रथम सीमा पार की जाती है, ऐसी स्थिति में भी नसबन्दी कराने पर प्रथम प्रसव होने के कारण शासकीय सेवकों को दो वेतन मंजूर की जावेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ 6-1/2002/1-3, दिनांक 7-10-2015]

1. गृह भाड़ा भत्ता (Home Allowance) —

(1) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता—राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं, जो राज्य शासन के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। निम्नानुसार शासकीय सेवक इसे प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं—

(क) ऐसे शासकीय सेवक जो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान में रहते हैं।

(ख) ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवाएँ स्थाई या अस्थायी हो, गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु अपात्र—निम्नानुसार शासकीय सेवक गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे—

(क) वे, जिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/परिश्रमिक प्राप्त होता है।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास आवंटित हो परन्तु जिनके द्वारा उसे लेने से मनाकर दिया गया हो।

(ग) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा हो।

(घ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(ङ) ऐसे कर्मचारी, जहाँ उन्हें निःशुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होता है।

(च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(3) गृह भाड़ा भत्ता की दर—मकान किराया भत्ता राज्य शासन के ऐसे सभी कर्मचारियों को प्राप्त होता है जो राज्य शासन के निम्नानुसार नियंत्रण में कार्य करते हैं—

(1) ऐसे शासकीय सेवकों को जो किराया के मकान पर रहते हो या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान पर रहते हों मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(2) ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवाएँ स्थायी एवं अस्थायी हो मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

4. वाहन भत्ता—

- (i) ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हें अपने मुख्यालय पर या इससे कुछ दूर नियमित यात्रा करनी पड़ती है जिसके बदले में उन्हें दैनिक भत्ते की पात्रता नहीं होती उन्हें मासिक वाहन भत्ता दिया जा सकता है, जिसके लिये निम्न शर्तें निर्धारित हैं—
- (अ) इसके लिए औसत मासिक यात्रा 200 किलोमीटर से अधिक हो।
 - (ब) यह भत्ता केवल वाहनों के प्रयोग के विरुद्ध दिया जायेगा। पैदल या सायकल में की गई यात्रा पर वाहन भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
 - (स) यह वाहन भत्ता कुल कार्य दिवस के आधार पर देय होगा अर्थात् अस्थायी स्थानांतरण या अवकाश काल पर देय नहीं होगा।
 - (द) वाहन भत्ते के साथ किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- वाहन भत्ता स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है जो कि वेतन का आहरण करता हो। दिनांक 1 जुलाई 1993 से स्वीकृत वाहन भत्ते की दर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1459/सी.आर.-1928/चार/नि-1/दिनांक 4-12-71 तथा समय-समय पर संशोधित नियमानुसार निम्न दर स्वीकृत किया गया है—

औसत मासिक यात्रा	स्वयं के वाहन से (मोटर कार)	यात्रा के अन्य साधन एक अश्वशक्ति से अधिक का मोटरसायकल/एम्बुलेंस
201 से 300 किमी.	रु. 450/- प्रतिमाह	रु. 150/- प्रतिमाह
301 से 450 किमी.	रु. 575/- प्रतिमाह	रु. 200/- प्रतिमाह
451 से 600 किमी.	रु. 725/- प्रतिमाह	रु. 300/- प्रतिमाह
601 से 800 किमी.	रु. 1000/- प्रतिमाह	रु. 300/- प्रतिमाह

(ii) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/सी-15388/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 एवं क्रमांक 248/एल 2013-01-00151/वि/नि/चार, दिनांक 2 जून, 2014 के तहत नया रायपुर में निवासरत कर्मचारियों को निःशुल्क बस सुविधा अथवा वाहन भत्ता दोनों में से किसी एक को चयन करने का विकल्प है। विकल्प न देने की स्थिति में यह माना जावेगा कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निःशुल्क बस सुविधा का चयन किया गया है। उक्त सुविधा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-06/2014/1-6, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है।

(2) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 18 जून, 2014 में विकल्प देने की निर्धारित तिथि 30 जून, 2014 समाप्त होने के पश्चात् नया रायपुर में निवास प्रारंभ किये हैं या अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, उन्हें विकल्प बदलने हेतु एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य शासन के विचाराधीन था।

(3) राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नया रायपुर में निवासरत शासकीय कर्मचारियों को वाहन भत्ता अथवा निःशुल्क वाहन सुविधा हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 30 जून, 2015 तक पुनः अवसर दिया जाए। भविष्य में नया रायपुर में निवासरत होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को उनके आवास धारण की तिथि से 1 माह के भीतर विकल्प देना होगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि उन्होंने निःशुल्क बस सुविधा हेतु विकल्प दिया है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 96/एफ 2015-01-00588/वि/नि/चार,
दिनांक 15-4-2015]

8. वर्दी एवं धुलाई भत्ता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13 फरवरी 2015 के ज्ञापन अनुसार आर्हता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भत्ता रु. 75.00 प्रतिमाह भुगतान करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा, जो नियमित रूप से वर्दी कार्यालय में पकड़ कर आते हैं।

(2) वर्दी सिलाई की दर—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 से संशोधित कर लागू किया—

क्रमांक	वर्दी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति ना)
1.	बटन अप कोट	रु. 250/-
2.	ट्राउजर	रु. 135/-
3.	गाँधी टोपी	रु. 40/-
4.	पायजामा	रु. 60/-
5.	बुशर्ट/हाफ कोट	रु. 100/-
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 750/-
7.	ब्लाउज/सलुखा	रु. 50/-
8.	पेटीकोट	रु. 30/-

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13-2-2015]

Subject	Rule	Page No.
CHAPTER-IV <u>KINDS OF LEAVE DUE AND ADMISSIBLE</u>		
Earned leave for Government servant serving in Departments other than Vacation Department	25	10
Calculation of earned leave	26	12
Earned leave for persons serving in vacation department	27	12
Half pay leave	28	14
Commutated leave	29	15
Leave not due	30	16
Extra-ordinary leave	31	17
Leave to probationer, a person on probation and an apprentice	32	17
Leave preparatory to retirement	33	17
Leave beyond the date of retirement, compulsory retirement or quitting of service	34	18
Persons re-employed after retirement	35	18
Leave Salary	36	18
Drawal of leave salary	37	19
CHAPTER-V <u>SPECIAL KINDS OF LEAVE OTHER THAN STUDY LEAVE</u>		
Maternity leave	38	19
Paternity leave	38-A	20
Child Adoption Leave	38-B	20
Special disability leave for injury intentionally inflicted	39	21
Special disability leave for accidental injury	40	22
Power to grant special disability leave	40-A	22
Power to grant leave Other than special disability leave and study leave	41	22
CHAPTER-VI <u>STUDY LEAVE</u>		
Conditions for grant of study leave	42	23
Sanction of study leave	43	24
Maximum amount of study leave that may be granted at a time and during the entire service	44	25
Accounting of study leave and combination with leave of other kinds	45	25
Regulation of study leave extending beyond course of study	46	25
Admissibility of allowances in addition to leave salary	47	26
Grant of travelling allowances		
Execution of bond	48	26
Resignation or retirement after study leave or non-completion of course of study	49	26
	50	26

(अर्जित अवकाश का नगदीकरण (Leave Encashment)

1. सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण—

(1) पात्रता—अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले, शासन द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने वाले तथा असमर्थ पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को यह देय है।

टिप्पणी—कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं है।

(2) अधिकतम सीमा—सेवा निवृत्त होने के दिनांक को अवकाश लेखे में शेष बचे अर्जित अवकाश के बराबर, परन्तु जो 300 दिन से अधिक नहीं हो, के लिए यह देय है।

टिप्पणी—नगदीकरण तथा समर्पण अवकाश की कुल सीमा से उससे अधिक नहीं होगी जो शासकीय सेवक अपनी पूरी सेवा में रहते वर्तमान आदेशों के अधीन अवकाश का समर्पण करता है।

(3) एक मुश्त भुगतान—अवकाश वेतन के बराबर स्वीकार नगद राशि सेवा निवृत्ति पर देय होगी और उसकी अदाएगी एक ही बार भुगतान के रूप में की जावेगी।

(4) अवकाश वेतन—अवकाश वेतन वही होगा जो कर्मचारी को अर्जित अवकाश पर जाने पर मिलता है इसमें नगर क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल नहीं होता है। अवकाश भत्ता गणना का सूत्र इस प्रकार है।

$$= \frac{\text{वेतन} + \text{महगाई भत्ता}}{30} \times \text{समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या}$$

(5) सक्षम अधिकारी—कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी ही अवकाश नगदीकरण के लिए सक्षम अधिकारी है।

[वित्त विभाग क्र. 13/77/नि-1/चार, दिनांक 16-6-1980]

2. मृत्यु पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण—

(1) पात्रता—ऐसे शासकीय सेवक जो निम्न श्रेणी में नहीं आते, वे अवकाश नगदीकरण के लिए पात्र हैं—

(i) आखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अथवा सेवक जिन्हें आखिल भारतीय

सेवा के अधिकारियों के लिए लाभ अखिल भारतीय सेवा सेवानिवृत्त नियमों के अन्तर्गत यह लाभ देय है।

(ii) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

(iii) ऐसे पेंशनभोगी, जो अधिवार्षिकी अथवा सेवानिवृत्त पेंशन पा रहे हैं, और पुनर्नियुक्ति हुए हैं।

(iv) ठेके पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मचारी।

(2) उत्तराधिकारी—(i) विधवा पत्नी (एक से अधिक जीवित विधवा पत्नी होने पर राशि दोनों में बराबर बाँट दी जायेगी)

(ii) विधुर पति

(iii) मृत कर्मचारी का ज्येष्ठ पुत्र यदि वह परिवार के साथ रहता हो

(iv) ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री

(v) मृत कर्मचारी पर आश्रित विधवा पुत्री (एक से अधिक होने पर बराबर बाँटी जायेगी)

(vi) पिता

(vii) माता।

(3) एक मुश्त भुगतान—अवकाश वेतन के समतुल्य राशि एकमुश्त एक बार में भुगतान कर दी जायेगी।

(4) अधिकतम सीमा—मृत्यु के दिन तक अवशेष जमा अर्जित अवकाश रन्तु 300 दिन से अधिक नहीं।

(5) सक्षम आधिकारी—अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी ही, अवकाश नगदीकरण भुगतान के लिए सक्षम होगा।

[वित्त विभाग क्र. 161/4/31/82/में-एक/चार, दिनांक 31-1-1983]

3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की गणना—

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अवकाश नगदीकरण की गणना—(i) दिनांक 1.7.87 तक 12 माह के अन्तर पर 15 दिन तथा 24 माह के अन्तर पर 30 दिन के हिसाब से।

(ii) दिनांक 10-3-87 से 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 7 दिन अथवा दो वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिवस के हिसाब से नगदीकरण की पात्रता हेतु गणना की जानी चाहिए।

(iii) पात्रता की गणना करते समय नगदीकरण तथा समर्पण की कुल सीमा निर्धारित करने शुद्ध नगदीकरण योग्य अवकाश का वर्तमान वेतन एवं आम देय महंगाई भत्ता जोड़कर गणना करेंगे।

(2) मृत शासकीय सेवकों के अवकाश की गणना—मृत शासकीय सेवकों के अवकाश नगदीकरण के प्रकरणों में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 50.185/90/वित्त दिनांक 8-1-91 के अन्तरगत सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के अवकाश नगदी प्रकरणों में अवकाश की गणना करने अवकाश की पात्रता को सीमित करने की आवश्यकता है। यदि कोई शासकीय कर्मचारी सेवा के दौरान मृत हो जाता है, तब मृत्यु के दिनांक को उसके खाते में जमा संपूर्ण शेष का समर्पण मंजूर होगा।

[वित्त विभाग क्र. जी एफ/28/91/सी/चार, दिनांक 10-5-1995]

(3) समर्पित अवकाश की गणना में महंगाई भत्ता को शामिल किया जाना—राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 1-4-2007 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत के समान महंगाई भत्ता को राज्य शासन के शासकीय सेवकों के वेतन के साथ महंगाई वेतन का वित्तय के रूप में निर्देश दिए गए हैं।

दिनांक 1-4-2007 से सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगदीकरण में भी गणना हेतु महंगाई भत्ते को जोड़ने का निर्देश छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 310/316/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 6-11-2007 द्वारा जारी कर दिया गया है।

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

(General Provident Fund Rules, 1955)

1. सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955—

शासकीय सेवकों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्यतः किए जा रहे अंशदान के विनियमन एवं संधारण हेतु सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 लागू किया गया। परन्तु यह नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा में दिनांक 1 नवम्बर 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

2. सामान्य भविष्य निधि नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान—

(1) निधि का गठन तथा अंशदान की पात्रता—(i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण होगा।

(ii) ऐसे कर्मचारी जो ठेके पर रखे गए हैं या जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है उनको छोड़कर, समस्त शासकीय सेवक जो शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन कार्यरत हैं, इस निधि में अंशदान हेतु पात्र हैं।

(iii) समस्त शासकीय सेवक, जो निधि में अंशदान के पात्र हैं, अनिवार्यतः उसमें अंशदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार अगर चाहे तब किसी विशेष प्रकरण में अंशदान से छूट दे सकती है।

(2) अंशदान की राशि—निम्न लिखित शर्तों के अधीन, अंशदान की राशि निर्धारित की जायेगी—

(i) राशि पूर्ण रूप में अधिकतम की जावे।

(ii) यह राशि कितनी भी हो सकती है, जो कि परिलब्धियों के 12% से कम नहीं हो सकेगी तथा परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

3. अंशदान की राशि का निर्धारण—

नियम 11(3) के अधीन, अभिदाता उसके मासिक अंशदान की सूचना निम्नानुसार विधि अनुसार अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा—

(i) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को कर्तव्य पर था तब वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में, जो राशि जमा कराना चाहता है।

(ii) यदि वह पिछले वर्ष के 31 माह को अवकाश पर था तथा उसने अवकाश के दौरान अंशदान नहीं देने का चयन किया है अथवा उस दिन निलम्बित है, तो कर्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम देयक से काटी जाने वाली अंशदान की राशि।

सामान्य भविष्य निधि खाता के विषय महत्वपूर्ण संशोधित निर्देश

(Important Orders on GPF)

अध्याय
42

1. ई-कोष आइलाइन पोर्टल—

शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का विवरण ई-कोष ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित है। इसे शासकीय सेवको द्वारा निम्नानुसार देखा जा सकता है—

- (i) Internet-browser के Address Bar में वेबसाइट <http://cg.nic.m/dtap> को अंकित कर Enter करे।
- (ii) वेबपेज खोलने पर प्रदर्शित सूची के रिपोर्ट लिंक (Reports Link) के अन्तरगत प्रदर्शित AG Interface को क्लिक करे।
- (iii) प्रदर्शित मेनूबार में Employees Code number पासवर्ड कोड नम्बर और जन्म तिथि एक साथ लिखने तथा सुरक्षा कोड में अंकित शब्द को निर्धारित यथास्थान में लिखा जाना है।
- (iv) प्रदर्शित मेनूबार पर वर्ष चयन कर Submit करने पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते के चयनित वर्ष का वित्तीय विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।

अवकाश नियम

सन्दर्भ :-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 से 4 अध्याय 10 गूल नियम 58 से 104 तथा सहायक नियम 35 से 172 तथा समय -समय पर जारी शासनादेश

1	अवकाश का प्रकार	अधिकतम देय एवं सक्षम प्राधिकारी	नियम	अनुवृत्ति
2	आकस्मिक अवकाश प्रतिकर अवकाश	14	मैन्युअल आफ गवर्नमेंट आर्डर के अध्याय 142 सहायक नियम 201	आकस्मिक अवकाश एक समय पर 10 से अधिक देय नहीं है तथा प्रतिकर अवकाश एक माह में 2 दिन ।
	अर्जित अवकाश	कलेंडर वर्ष में 31 दिन तथा पूरी सेवा में 300	मूल नियम 81-ख (1) सहायक नियम 157-क(1)	भारत में एक समय पर 120 दिन तथा भारत से बाहर एक समय पर 180 दिन से अधिक नहीं। मूल नियम 81-ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1)(ग्यारह)
3	निजी कार्य पर अवकाश	365 दिन(स्थायी सेवा पर) 120दिन(अस्थायी सेवा पर)	मूल नियम 81-(ख)(3) सहायक नियम 157-क(3)	एक समय पर भारत में अधिकतम 90 दिन भारत से बाहर 180 दिन एक बार में 60 दिन से अधिक नहीं
4	चिकित्सा अवकाश	365 दिन	मूल नियम 81(ख)(2) मूल नियम 89,90 तथा 91 को भी देखें	90 दिन तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा इससे अधिक अवधि के लिये चिकित्सा परिशद की संस्तुति के आधार पर देय।
5	मातृत्व अवकाश	135 दिन(पूरी सेवा काल में दो बार)	मूल नियम 101, सहायक नियम 153 व 154 देखें	दो बच्चों तक सीमित रहने पर। एक बच्चे के विकलांग /असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अपवाद स्वरूप पूरी सेवा में तीन बार देय है।
6	असाधारण अवकाश	अधिकतम 5 वर्ष (स्थायी सेवा पर) अधिकतम 3 वर्ष(24 मास की निरंतर सेवा होने एवं अस्थायी सेवा पर)	मूल नियम 85, 86 तथा सहायक नियम 157(क) (4)	यह अवकाश लेख से नहीं घटाया जाता है। असाधारण अवकाश की अवधि के लिये अवकाश वेतन देय नहीं है।
7	हॉस्पिटल अवकाश	3 वर्ष की अवधि में अधिकतम 6 माह	सहायक नियम 155 तथा सहायक नियम 156 भी देखें	तीन माह की अवधि में पूर्ण अवकाश वेतन तथा शेष अवधि के लिये अर्द्ध वेतन देय है।
8	अध्ययन अवकाश	एक बार में 12 माह पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष	मूल नियम 84 एवं सहायक नियम 146(क)	अध्ययन अवकाश काल में अर्द्ध वेतन देय है।
9	विशेष विकलांगता अवकाश	24 माह से अधिक देय नहीं	मूल नियम 83 व 83(क)	चार महीने पूर्ण औसत वेतन तथा शेष अवधि में

				अर्द्ध वेतन पर।
10	लघुकृत अवकाश	निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का अर्द्ध अवकाश लघुकृत अवकाश देय	मूल नियम 81-ख(4) मूल नियम 87-क(4)	अर्जित अवकाश के भौति अवकाश पर जाने में देय अवकाश वेतन देय होगा।
	उपरोक्त अवकाशों को स्वीकृत करने का अधिकार	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग	सहायक नियम 35 तथा सहायक नियम 36 में वर्णित पदाधिकारी	अराजपत्रित कार्मिक के लिये सहायक नियम 35 तथा राजपत्रित अधिकारी के लिये सहायक नियम 36 लागू होगा।

अवकाश के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख मूल नियम निम्नानुसार हैं :-

- अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए वाहय सेवा में व्यतीत की गयी अवधि को ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिये अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 59

- विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें शासन नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दें। विशेष विकलांगता अवकाश शासन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 66

- अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त, मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कोई भी अन्य अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अथवा विस्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 के भाग 4 (विवरण-पत्र 4 के क्रम संख्या 5, 8 तथा 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 35

- राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता है, किन्तु विस्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग 4 (वितरण पत्र क्रम संख्या 6, 7, 8 व 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन अथवा किसी ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा जिसे इसके लिये अधिकार प्रतिनिहित किया गया हो, प्रदान किया जा सकता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 36

60 दिन तक का अवकाश सभी विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्त कि प्रतिस्थानी की आवश्यकता न हो।

(शासनादेश संख्या-सा-4-944/दस-66-73, दिनांक 16-8-73)

- विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर 3 माह तक की अवधि तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान कर सकते हैं।

(शासकीय ज्ञाप संख्या सा-4-1752/दस-200(2)-77 दिनांक 20-6-1978)

- प्रसूति अवकाश संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा किसी ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा जिसे इसके लिये अधिकार प्रतिनिहित किया गया हो, प्रदान किया जा सकता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153, 154

अवकाश की मांग का दावा अधिकार के रूप में नहीं।

- किसी अवकाश का दावा या मांग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब जन सेवाओं की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है इस सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम होता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 87

- अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरंत पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरम्भ सामान्यतः उस दिन से माना जाता है जिस दिन सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने कक्ष/ कार्यालय का प्रभार हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्त माना जाता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 68

- बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस सम्बन्ध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 69

जन सेवा के हित में अवकाशाधीन सेवक को वापस बुलाने का अधिकार-

- जन सेवा के हित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी सेवक को अवकाश का पूर्ण उपभोग किये बिना ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 70

अवकाश से वापस बुलाये जाने पर यात्रा भत्ता निम्न शर्तों के पूरा होने पर ही देय होगा।

- यदि वह 60 दिन से अधिक के अवकाश पर गया हो तो कम से कम उसकी आधी अवधि का अवकाश निरस्त किया गया हो।
- यदि वह 60 दिन तक या उससे कम की अवधि के लिये अवकाश पर गया हो तो यह कम से कम 30 दिन का अवकाश निरस्त कराया गया हो।

(नियम 51, वितीय नियम संग्रह खण्ड 3)

- चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

इसी प्रकार यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामलों में भी उपरोक्त स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र मांग सकता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 71

- अवकाश स्वीकर्ता अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के 14 दिन से अधिक समय पूर्व सेवा में वापस आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 72

- यदि कोई राजकीय कर्मचारी अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि अर्द्ध औसत वेतन पर अवकाश के रूप में रेखांकित की जायेगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश अवधि बढ़ा न दी गयी हो। यदि बाद में वह अनुपस्थिति की अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इस अवधि को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय अवकाश से घटा दिया जायेगा किन्तु कोई अवकाश वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 73

- अवकाशोपरान्त जान बूझकर सेवा से अनुपस्थिति दुर्व्यहार की श्रेणी में आती है एवं दण्डनीय अपराध है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 15

- किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 ख(6), 83 (4), सहायक नियम 157 क(5) तथा 154

अवकाश वेतन

अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन की दरों पर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है। अवकाश अवधि में देय प्रतिकर भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में मूल नियम-93 तथा सहायक नियम 147, 149, 150 तथा 152 में व्यवस्था दी गई है। जो विशेष वेतन तथा प्रतिकर भत्ते किसी कार्य विशेष को करने के कारण देय होते हैं, उन्हें अवकाश अवधि में देने का कोई औचित्य नहीं है परन्तु जो विशेष वेतन तथा भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देये होते हैं (स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता) अवकाश वेतन के साथ दिये जाने चाहिये। विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान अवकाश के अधिकतम 120 दिन की सीमा तक अनुमन्य होगा।

शासनादेश संख्या सा 4 871/वस 1999, दिनांक 25 मार्च, 2000

- अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 87 क तथा सहायक नियम 157 क
- सरकारी सेवक जिन्हें अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।

1. सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 55

2. सरकारी सेवक जिसे दुराचरण अथवा सामान्य अक्षमता के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाना अपेक्षित हो, को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, यदि उस अवकाश के प्रभाव स्वरूप निकाले या हटाये जाने की स्थिति स्थगित हो जाती हो या जिसको आचरण के कारण उसी समय या निकट भविष्य में उसके विरुद्ध विभागीय जाँच का विषय बनाने वाला हो।

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 101

अवकाश प्रदान करना .

अवकाश प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखेंगे :-

- कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है
- अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि
- पिछली बार लिये गये अवकाश से वापस आने के परचात सेवा की अवधि
- किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया
- आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया

विस्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 99

आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, प्रतिकर अवकाश

मैनुअल आफ गवर्नेमेंट आर्डर के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से सम्बन्धित नियम दिये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

प्रस्ताव 1081 : आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व

आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है।

प्रस्ताव 1082 : आकस्मिक अवकाश की सीमा

- एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यता 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
- आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।
- रविवार, छुट्टियों एवं अन्य सरकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जायेगा।
- अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी 14 दिनों से अधिक का आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में स्वीकृत कर सकता
- विशेष आकस्मिक अवकाश
विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन की विशेष छुट्टी दी जा सकती है।
- लिपिक वर्गीय स्टाफ के अतिरिक्त अन्य को दी गयी विशेष छुट्टियों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी होगी।
- शा0सं0 बी-820/दो-बी-ज 55, दिनांक 27-12-1955 तथा एम0जी0ओ0 का पैरा 882 व 1087 राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए घयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आयें।
(शासनादेश संख्या : 1694/का-1/83, दिनांक 5-7-83 तथा 1847/का-4-ई-एक-81-83, दिनांक 4-10-83)

प्रस्ताव 1083 : आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति

- आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव 1084 : समुचित कारण

- आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है।

प्रस्ताव 1085 : सक्षम अधिकारी

आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है।

प्रस्ताव 1086 : आकस्मिक अवकाश रजिस्टर

आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

कर्मचारी का नाम पद नाम	स्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश					निर्बन्धित अवकाश		
	14	13	12	11.....	2	1	2	1

प्रस्ताव 1087 . विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है :-

विवरण	अवधि
1- विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य	यात्रा सहित बैठक की अवधि
2- परिवार नियोजन, नसबन्दी (पुरुष)	6 कार्य दिवस
3- नसबन्दी (महिला)	14 कार्य दिवस
4- वैज्ञानिक, अधिकारियों को किसी वर्कशाप/सेमिनार में शोध-पत्र पढ़ने हेतु	यात्रा समय सहित वर्कशाप की अवधि
5- मान्यता प्राप्त संघों महासंघों/परि त्तों के बा कि अधिवेशन की अवधि - अधिकतम 2 दिन भासनादेश होने पर	2 दिन

प्रस्ताव 1088 . भारत वर्ष से बाहर जाने के लिये अवकाश

भारत वर्ष से बाहर जाने के लिये आवेदित किये गये अवकाश (आकस्मिक अवकाश सहित) की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्वानुमति के नहीं दी जायेगी।

प्रस्ताव 1089 . प्रतिकर अवकाश

- अराजपत्रित कर्मचारी को उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों अधीन छुट्टियों में अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए बुलाये जाने पर प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
- यदि कर्मचारी आधे दिन काम किया है तो उसे दो आधे दिन मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
- अवकाश के दिन स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- प्रतिकर अवकाश का देय तिथि से एक माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाना चाहिए।
- यदि ज्यादा कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिया जाना है तो सरकारी कार्य में बाधा न पड़ने की दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा एक महीने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है।
- दो दिन से अधिक का प्रतिकर अवकाश एक साथ नहीं दिया जायेगा।
- आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम है। यह अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है।

अर्जित अवकाश
(वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

सार्धता

● अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों को देय है।

नियम - वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 ख (1) सहायक नियम 157 क (1)

अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की गणना की प्रक्रिया -

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 दिन का अर्जित अवकाश देय होता है। पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन जमा किया जायेगा।

- अवकाश का हिसाब लगाने समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।
- किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष 300 दिन निर्धारित है।
- प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास के लिए $2\frac{1}{2}$ दिन प्रतिमास की दर से पूरे माह के आधार पर अवकाश देय होता है।
- जब किसी छमाही में असाधारण अवकाश का उपयोग किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में अगले छमाही के लिए जमा किये जाने वाला अवकाश असाधारण अवकाश की अवधि के $1/10$ की दर से 15 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (पूरे दिन के आधार पर) अर्जित अवकाश कम कर दिया जाता है।
- अर्जित अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित किया जायेगा।

अवकाश लेखा -

● अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के सेवा पुस्तिका में अवकाश लेख प्रपत्र-11 घ में रखे जाते हैं।

मूल नियम 81 ख (1) (B)

एक समय पर अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा -

- यदि सम्पूर्ण अवकाश भारतवर्ष में व्यतीत किया जा रहा हो 120 दिन
 - यदि सम्पूर्ण अवकाश भारतवर्ष के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो 180 दिन
- मूल नियम 81 ख**

अवकाश वेतन

● अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्रहाय होता है

मूल नियम 87 क(1) तथा सहायक नियम 157 क (6)

अवकाश वेतन अग्रिम रूप से देय -

शासनादेश संख्या ए-1-1668/दस-3-1(4)-65 दिनांक 13 अक्टूबर 1978 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का उनके अवकाश पर जाने के समय अवकाश वेतन अग्रिम धनराशि भुगतान करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती है।

- यह अग्रिम धनराशि कम से कम 30 दिन या एक मास से अधिक की अवधि के केवल अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाश के मामले में देय होगी।

- यह अग्रिम धनराशि ब्याज रहित होगी।
- अग्रिम की धनराशि अन्तिम बार लिये गये मासिक वेतन, जिसमें मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता (अन्य भत्ते छोड़कर) भी सम्मिलित होंगे।
- उपरोक्त प्रस्तर एक में उल्लिखित प्रकार की अवधि यदि 30 दिन से अधिक और 120 दिन से अधिक न हो तो उस दशा में भी पूरा अवकाश अवधि का, लेकिन एक समय में केवल एक माह का अवकाश वेतन अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
- अवकाश वेतन अग्रिम से सामान्य कटौतियां कर ली जानी चाहिए।
- यह अग्रिम धनराशि स्थायी तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को देय होगी। किन्तु अस्थायी कर्मचारी के मामले में यह धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के पैरा 242 में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन मिलेगी।
- जिन अधिकारियों के वेतन घर्ची निर्गत करने का प्राविधान है ऐसे अधिकारी को भी अग्रिम धनराशि लेने के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।
- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा 249(ए) के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशियां स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी अवकाश वेतन का अग्रिम भी स्वीकृत कर सकता है। यह प्राधिकारी अपने लिए भी ऐसी अग्रिम धनराशि स्वीकृत कर सकता है।
- इस पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन सरकारी कर्मचारी के अवकाश वेतन के प्रथम बिल से किया जायेगा। यदि पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन इस प्रकार नहीं हो सकता है तो शेष धनराशि की वसूली वेतन या अवकाश वेतन से अगले भुगतान के समय की जायेगी।
- शासनादेश संख्या सा-4-438/दस-2000-203-86 दिनांक 3 जुलाई, 2000 द्वारा 300 दिन तक का अर्जित अवकाश नकदीकरण विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

स्वीकृता प्राधिकारी

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

निजी कार्य पर अवकाश
(वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

अर्जा :

स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों को देव है। निजी कार्य पर अवकाश अर्जित अवकाश की ही भांति तथा उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये 31 दिन 2 छमाही किशतों में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रथम छमाही तथा सेवा से पृथक् होने वाली छमाही के लिये जमा होने योग्य अवकाश का आगणन तथा असाधारण अवकाश के उपयोग करने पर अवकाश की कटौती विषयक प्रक्रिया भी वही है, जो अर्जित अवकाश के विषय में है।

नियम : वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 अ(3)

अधिकतम अवकाश अवधि तथा देव अवकाश :

स्थायी सरकारी सेवक :

- यह अवकाश 365 दिन तक की अधिकतम सीमा के अधीन जमा किया जाता है।
 - सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 365 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
 - किसी एक समय में स्वीकृत की जा सकने योग्य अधिकतम सीमा निम्नानुसार है —

पूरा अवकाश भारतवर्ष में व्यतीत किये जाने पर	90 दिन
पूरा अवकाश भारतवर्ष से बाहर व्यतीत किये जाने पर	180 दिन
- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 अ (3)

अस्थायी सरकारी सेवक :

- अस्थायी सरकारी सेवकों के अवकाश खातों में निजी कार्य पर अवकाश किसी अवसर पर 60 दिन से अधिक जमा नहीं होगा।
- अवकाश लेख में 60 दिन का अवकाश जमा हो जाने पर अवकाश जमा करना बन्द कर दिया जाता है। अवकाश लेने के कारण अवशेष 60 दिन से कम हो जाने पर अवकाश जमा होना पुनः प्रारम्भ हो जाता है, जो पुनः 60 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहता है।
- अस्थायी सेवकों को निजी कार्य पर अवकाश तब तक स्वीकार्य नहीं होता है जब तक कि उनके द्वारा दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी न कर ली गयी हो।
- सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में कुल मिलाकर 120 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
- अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 157 क(3)

अवकाश लेखा :

- अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों की अवकाश लेखे प्रपत्र -11-ड में रखे जायेंगे।
- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 अ (3)(दस)

अवकाश वेतन

- निजी कार्य पर अवकाश काल में वह अवकाश वेतन मिलता है जो अर्जित अवकाश के लिये अनुमन्य होने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के बराबर हो।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 87 क(3) तथा सहायक नियम 157 क (6) (4)

स्वीकृता प्राधिकारी

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

अर्हता :

स्थायी सेवक

- सम्पूर्ण सेवा काल में 12 माह तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकार किया जा सकता है।
- उपरोक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश और स्वीकार किया जा सकता है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81 ख (2)

अस्थायी सेवक

- ऐसे अस्थायी सेवकों को जो 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों तथा नियमित नियुक्ति और अच्छे आचरण आदि बातों को पूरा करते हों स्थायी सरकारी सेवकों के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के उपरान्त स्थायी सेवकों को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं है।
- भोरा सभी अस्थायी सेवकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में 4 माह तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश वेतन

- स्थायी सेवकों तथा तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत अस्थायी सेवकों को 12 माह तक की अवधि तथा शेष अस्थायी सेवकों को 4 माह तक की अवकाश अवधि के लिये वह अवकाश वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाश का उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होता है।
- स्थायी सेवकों को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाश के लिये अर्जित अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होती है।
- प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।

मूल नियम 87 क(2) तथा सहायक नियम 157 क(5) सहायक नियम 157 क (2)

- जहां किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा।

मूल नियम 81 ख(2)(2) सहायक नियम 87

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण

अधिकारी/कर्मचारी	प्राधिकृत चिकित्सक
समूह क के अधिकारी	मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट/कन्सल्टेन्ट
समूह ख के अधिकारी	मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर/रीडर राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट/कन्सल्टेन्ट
समूह ग व घ के कर्मचारी	मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर

- अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्साकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।

सहायक नियम 95

आवेदक के हस्ताक्षर.....

मैं श्री.....के मामले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूँ की श्री....., जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये हुए हैं.....से पीड़ित हैं। रोग के इस समय वर्तमान लक्षण हैं.....। मेरी राय में रोग का कारण.....है।

आज की तिथि तक गिनकर रोग की अवधि.....दिनों की है। जैसा कि श्री.....से पूछने पर ज्ञात हुआ, रोग का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है.....। मैं समझता हूँ कि पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ हेतु दिनांक.....से दिनांक.....तक की अवधि के लिए इनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति नितान्त आवश्यक है।

चिकित्साधिकारी

- श्रेणी घ के सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण पत्र को पर्याप्त समझे स्वीकार कर सकते हैं।

सहायक नियम 96

- उस सरकारी कर्मचारी से जिसने एशिया में चिकित्साकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो ड्यूटी पर लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वस्थता के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

सहायक नियम 43 क

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमने/मैंने.....विभाग के श्री.....की सावधानी से परीक्षा कर ली है और यह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं और सरकारी सेवा में ड्यूटी पर लौटने योग्य हैं।

हम/मैं यह भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि उपर्युक्त निर्णय पर पहुँचने के पूर्व हमने/मैंने मूल चिकित्सीय प्रमाण पत्र का तथा मामले के विवरण का अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा उनका प्रमाणित प्रतिलिपियों का जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुँचने के पूर्व इन पर विचार कर लिया है।

सहायक नियम 43क

- राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिये सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। यदि संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अनधिक हो तथा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित कर दें कि उनकी राय में प्रार्थी को चिकित्सा परिषद की समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

- जब प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में सरकारी सेवक के चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की संस्तुति की जाय अथवा संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो, या 3 माह या उससे कम अवकाश को 3 माह से आगे बढ़ाया जाय, तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने रोग के विवरण पत्र की दो प्रतियाँ लेकर चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होना होता है।

सहायक नियम 89 तथा 90

- सहायक नियम 91 के नीचे चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने के लिये वांछित स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पुनः परिषद के समक्ष उपस्थित होना है या वह उस प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

स्वीकृता प्राधिकारी

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

मातृत्व (प्रसूति) अवकाश
(वै.तीव्र हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

स्थायी सेवक .

व्यवस्था .

प्रसूति अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों देय है।

निम्न दो अवसरों पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

(1) प्रसूति के मामलों में

- प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक।
- अन्तिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी दुबारा प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो।

(2) गर्भपात के मामलों में

- गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भस्राव भी है प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक
- अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो
- अब गर्भपात/गर्भस्राव के प्रकरणों में मातृत्व अवकाश तीन से अधिक बार भी स्वीकृत किया जा सकता है।
- गर्भपात/गर्भस्राव के प्रकरणों में अनुमन्य मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में अधिकतम तीन बार अनुमन्य होने का प्रतिबन्ध शासन के पत्रांक सा-4-84/दस-90-216-79, दिनांक 3 मई, 1990 द्वारा प्रसारित अधिसूचना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

मूल नियम 101, सहायक नियम 153 तथा जी 4 394 दस 216 79, दिनांक 04 जून, 1999

- प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेख से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

सहायक नियम 154

अवकाश वेतन

- प्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करते समय प्राप्त ड्यूटी वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।

सहायक नियम 153

स्वीकृता प्राधिकारी

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

असाधारण अवकाश
(वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

व्याप्ति :

- यह अवकाश स्थायी व अस्थायी दोनों सरकारी सेवकों को देय है।
- जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो
- अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिये आवेदन करें।
- यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।

मूल नियम 85

अधिकतम अवकाश अवधि :

स्थायी सरकारी सेवक :

- स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में मूल नियम 18 के उपबन्धों के अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि तक के लिये स्वीकृत किया जा सकता है।
- किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।

मूल नियम 81 ख (6)

अस्थायी सरकारी सेवक :

अस्थायी सरकार सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी:-

- तीन मास
- छः मास—यदि संबंधित सरकारी सेवक ने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
- अठारह मास—यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, और वह शय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो।
- चौबीस मास—सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में अध्ययन करने के लिये इस प्रतिबन्ध के अधीन कि संबंधित सेवक ने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो।

सहायक नियम 157 क(4)

अवकाश वेतन :

- असाधारण अवकाश की अवधि के लिये कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।

मूल नियम 85,87(क)(4) एवं सहायक नियम 157क(6)(ग)

स्वीकृता प्राधिकारी

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

चिकित्सालय अवकाश
(वै.तीव हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

अवधि .

- अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या बीमारी का खतरा हो, अस्वस्थता के कारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

मूल नियम 101सहायक नियम 155

- यह अवकाश उन्हीं सरकारी सेवकों को देय है जिनका वेतन रुपये 1180(पुराने वेतनमान में) प्रतिमाह से अधिक न हो।
- ऐसे समस्त स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवकों, जिन्हें अपने कर्तव्यों के कारण खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों अथवा औषधियों आदि से काम करना पड़ता है अथवा जिन्हें अपने कर्तव्यों, जिनका उल्लेख सहायक नियम 155 के उप नियम (5) में है, के कारण दुर्घटना अथवा बीमारी का विशेष जोखिम उठाना पड़ता है, को शासकीय कर्तव्यों के परिपालन के दौरान दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर चिकित्सालय/औषधालय में उपचार हेतु मर्ती होने पर अथवा वाहय रोगी के रूप में चिकित्सा कराने हेतु प्रदान किया जाता है।

अवकाश देयता .

- यह अवकाश चाहे एक बार में लिया जाय अथवा किश्तों में किसी भी दशा में 3 वर्ष की कालावधि में 6 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
- चिकित्सालय अवकाश को अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा इसे न ही अन्य देय अवकाश से संयोजित किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि कुल मिलाकर अवकाश अवधि 28 माह से अधिक नहीं होगी।

सहायक नियम 156

अवकाश वेतन

- चिकित्सालय अवकाश अवधि के पहले 3 माह तक के लिये वही अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो वेतन अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व प्राप्त हो रहा हो।
तीन माह से अधिक की शेष अवधि के लिए गये अवकाश वेतन उक्त दर के आधे के हिसाब से दिया जाता है।

सहायक नियम 155 तथा 156

स्वीकृता प्राधिकारी .

- चिकित्सालय अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

अध्ययन अवकाश।
(वैसीस हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

साहता

●जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, अन्ये ण, पशुपालन, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण तथा वन विभागों में कार्यरत **स्थावी सरकारी सेवकों** को जनहित में किन्हीं वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

- यह अवकाश भारत में अथवा भारत के बाहर अध्ययन करने के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। जिन सरकारी सेवकों ने 5 वर्ष से कम सेवा की हो अथवा जिन्हें सेवा निवृत्ति होने का विकल्प तीन या उससे कम समय में अनुमन्य हो, उनको अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं किया जाता है।
- असाधारण अवकाश या चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश को अध्ययन अवकाश के साथ मिलाये जाने की दशा में सकल अवकाश अवधि के परिणाम स्वरुप संबंधित सरकारी सेवक की अपनी नियमित ड्यूटी से अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक बार में 12 माह के अवकाश को साधारणतया उचित अधिकतम सीमा माना जाना चाहिए तथा केवल साधारण कारणों को छोड़कर इससे अधिक अवकाश किसी एक समय में नहीं दिया जाना चाहिए।
- सम्पूर्ण सेवा अवधि में कुल मिलाकर 2 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अवकाश वेतन

अध्ययन अवकाश काल में अर्द्ध वेतन ग्राह्य होता है।

मूल विवम 84 तथा सागरक नियम 146 क

स्वीकृता प्राधिकारी -

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

विशेष विकलांगता अवकाश
(विंतीय अस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

अवकाश :

- भासन किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक को जो किसी के द्वारा जानबूझ कर चोट पहुंचाने के फलस्वरूप अथवा अपने सरकारी कर्तव्यों के उचित पालन में या उसके फलस्वरूप चोट लग जाने अथवा अपनी अधिकारीय स्थिति के परिणामस्वरूप चोट लग जाने के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो गया हो, को विशेष विकलांगता अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
- अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब कि विकलांगता, उक्त घटना के दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रकट हो गई हो तथा संबंधित सेवक ने उसकी सूचना तत्परता से यथा सम्भव शीघ्र दे दी हो। परन्तु भासन विकलांगता के बारे में संतुष्ट होने की दशा में घटना के 3 माह के पश्चात प्रकट हुई विकलांगता के लिए भी अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
- किसी एक घटना के लिए एक बार से अधिक बार भी अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यदि विकलांगता बढ़ जाये अथवा भविष्य में पुनः वैसी ही परिस्थितियां प्रकट हो जाय तो अवकाश ऐसे अवसरों पर एक से अधिक बार भी प्रदान किया जा सकता है।
- अवकाश चैकित्सिक परिषद द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जा सकता है तथा अवकाश की अवधि चैकित्सिक परिषद द्वारा की गयी संस्तुति पर निर्भर रहती है, परन्तु यह चौबीस महीने से अधिक नहीं होगी।

अवकाश वेतन

- विशेष विकलांगता अवकाश अवधि के प्रथम 6 माह तक सरकारी सेवक ड्यूटी पर माना जाता है।
- तत्पश्चात अगले चार महीने पूर्ण वेतन पर तथा
- शेष 14 महीने अर्द्धवेतन पर यह अवकाश अनुमन्य होता है।

मूल नियम 83 तथा 83 क

अवकाश स्वीकृताधिकारी :

- महामहिम राज्यपाल

लघुकृत अवकाश
(वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय 10)

सहता

- लघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। मूल नियम 84 के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक या प्राविधिक अर्हताएँ प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के विकल्प पर उनकी निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।
- जितनी अवधि के लिये लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगुनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश में से घटा दी जाती है।
- किसी एक बार स्वीकृत किये जाने योग्य अवकाश की अधिकतम अवधि निजी कार्य पर अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित अधिकतम अवकाश के आधे के बराबर है।
- यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जायेगा जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि अवकाश समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आयेगा।
- यह अवकाश एप्रिल में 45 दिन तथा एप्रिल से बाहर 90 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकेगा।

मूल नियम 81 ख(4)

अवकाश वेतन -

- अर्जित अवकाश की तरह अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य है।

मूल नियम 87 क(4)

स्वीकृता प्राधिकारी -

- यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।

GOVT. ARTS COLLEGE,
 PITHOR (RAIPUR) M.P.
RECEIVED
 No. 222 Date 20/9/93

म. ग. क. स्तर
 20.9.93

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

20.9.93

39. ✓ 50 वीस मिट,
 विजयजी बाबा गुरुद्वारा
 भाग-राजपुर, भाग-
 भाग-विजयपुर, भाग-राजपुर.

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर
 [राजपुर]

40. ✓ 10 विजयपुर विजयपुर,
 विजयपुर गुरु, विजयपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, विजयपुर
 [राजपुर]

41. 10 वीस गुरु,
 भाग-1 राजपुर गुरु,
 भाग-22/313, गुरुद्वारा,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

42. 10 वीस गुरु राजपुर,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

43. 10 वीस गुरु राजपुर,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

44. 10 वीस गुरु,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

2. 10 वीस गुरु,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

4. 10 वीस गुरु राजपुर,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

6. 10 विजयपुर गुरु,
 भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 भाग-राजपुर [राजपुर]

भाग-राजपुर, भाग-राजपुर,
 [राजपुर]

- पञ्चदेम शासन
एवं शिक्षा विभाग

// आ दे म //

भोपाल, दिनांक 14/12/93

सूचि सं 1/122/93/ए-1/38, {राजनीतिशास्त्र} मध्यम स्तर के
आयोग द्वारा निम्नलिखित अभ्यासियों की रथानायन महारथ प्राध्यापक
राजनीतिशास्त्र के पद पर वेतनमान स्तर 2200-4000 में आयामी आदेश
परन्तु अभ्यासियों के उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता
है। यह नियुक्ति पूर्णतः अभ्यासियों के तथा किसी भी समय किया किसी कृपया के
तत्पश्चात ही जा लगेगी।

50 नाम एवं वर्तमान पता व महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया
जाता है।

1 2 3

1. श्रीमती ज्योति कुंजर शास्त्रमहाविद्यालय (महाराष्ट्र)

2. श्री सुख सिंह दीवान शास्त्रमहाविद्यालय (महाराष्ट्र)

2/ नियुक्त प्रत्यागी को राजना विहितकाल में वैदिक बोर्ड का
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सार्वभार गृह्य करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवाएं स्त्री के
प्रत्यासिद्धों के आरक्षण संबंधी प्राधान्यों का ध्यान रखा गया है। उक्त
स्त्री के प्रत्यासिद्धों को उपस्थिति के समय विधि अधिकारी का आति प्रमाण
पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4/ पदभार गृह्य करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही प्राप्ति सत्यापित करना
होगी। तत्पश्चात के पश्चात मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिया जाएगा।

5. विद्युत् आपूर्ति में अभावों को दिनांक 5 अक्टूबर, 1993 को
 पदावधि पर बांधीर गलन करना अनिवार्य होगा। अन्तर्गत विद्युत्
 आपूर्ति निरन्तर बना रहेगा। सामाजिक अभावमयीय विभागों/विभागों
 में कार्यरत अभावों को तत्परता के साथ निपटारा या समाधान प्रदान
 कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यालय के नाम से तथा
 आदेशानुसार

4 +
 श्रीराम लाल निवेदिनी
 उप सचिव
 मध्य प्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

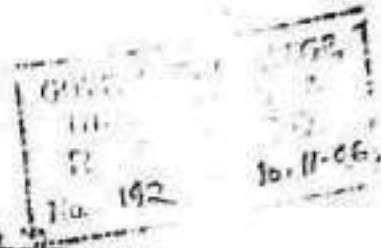
प्रमाणित एवं 1/122/93/स-1/38: भोपाल, दिनांक 14/12/93
 प्रतिलिपि:- सचिव, मध्य प्रदेश सेवा आयोग, इन्दौर की ओर भेजना

- 2- आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
- 3- महाधायक मध्य प्रदेश
- 4- निजी सचिव, महाधायक, (मध्य प्रदेश)
- 5- सर्वोच्च क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
- 6- सर्वोच्च प्राचार्य, सामाजिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश
- 7- सर्वोच्च गण श्रीशुभलाक्ष्मी प्रीति

उप सचिव
 मध्य प्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

प्रति,

प्राचार्य महोदय,
शासकीय महाविद्यालय पियौरा
जिला - महासमुन्द (खण्डा)

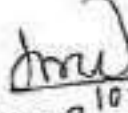


विषय - कार्यभार ग्रहण करने वाला,
महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि छात्रावास, उच्च शिक्षा
विभाग गंगानगर जयपुर का आदेश क्रमांक - एक-1-41/उशिवि
06 जयपुर दिनांक 27-03-2006 के आदेशानुसार मेरा
स्यानांतरण शा. महावि. फसांजूर (कांटेर) से शा. महावि.
पियौरा (महासमुन्द) हुआ है।

शा. महावि. फसांजूर से कार्यभार होने के पश्चात, शा.
महावि. पियौरा में आज दिनांक 10-11-2006 शुक्रवार को
पूर्वनिर्दिष्ट कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ।

संलग्न - कार्यभार आदेश की प्रति।


10-11-2006
भारतीय

एस. एस. हीवान
महा. प्राध्याप, राज. विज्ञान
शा. महावि. पियौरा
जिला - महासमुन्द
(खण्डा)

लेखा
आचार्य कार्यालय

10/11/06

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

समपुर, दिनांक 27/06/2007

क्रमांक एम-1-50/2007/38 = राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों (प्रचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/पीजी अधिकारी/सहायक) एवं कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के सहायक भूगोल सचिव को अपने नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर स्थापित हो कर पदस्थ किया जाता है-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5
1	डीएसआर अटारे प्राचार्य	शासन ईएस महा जगपुर महार	शासन पीजी महा. दतेवाड़ा	प्रशासनिक
2	डी. सरोज करवण प्राचार्य	शासन अग्रसेन महा. बिल्हा बिलासपुर।	शासन पीजी कन्या महा. बिलासपुर।	स्थायिक

सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र

3	डी.जी.पी. मिश्रा	शासन कन्या महा. अदिकापुर	शासन पीजी. महा. अदिकापुर	स्थायिक
4	डी. बी. जे. शर्मा	शासन टी.सी.एल. महा. जजजगौर	शासन पीजी कन्या महा. बिलासपुर	स्थायिक

सहायक प्राध्यापक भूगोल

5	श्री आर.जे. टाकुर	शासन महा. सारंगगढ़	शासन महा. गोपालपटनम	प्रशासनिक
6	श्री बेलन्या प्रसाद मंद	शासन महा. कन्या	शासन नवीन कन्या महा. जजजगौर	स्थायिक
7	श्री शिवेन्द्र जैनमणि	शासन विविजय महा. राजनगरगांव	शासन पीजी. महा. जगदलपुर	प्रशासनिक
8	श्रीमती कल्याणा लारा	शासन दुर्ग कन्या महा. रायपुर	शासन छ. ग. महा. रायपुर	प्रशासनिक
9	श्रीमती फकीराबाई शर्मा	शासन दुर्ग कन्या महा. रायपुर	शासन छ. ग. महा. रायपुर	प्रशासनिक



10	श्रीमती शीला श्रीवार	शास. ११.५. महा. रायपुर	शास. सु. व. कन्या महा. रायपुर	प्रशासनिक
11	श्रीमती सावित्री टोकरे	शास. ११.५. महा. रायपुर	शास. सु. व. कन्या महा. रायपुर	प्रशासनिक

सहायक प्राध्यापक वाणिज्य

12	डॉ. संतोष अग्रवाल	शास. टी.सी.एल. महा. जांजगीर	शास. नवीन कन्या महा. जांजगीर	स्वीछक
13	श्री धनराज मेघाण	शास. महा. बालोद	शास. महा. गुंडरदेही	स्वीछक
14	डॉ. एस.डी. गुप्ता	शास. एन.ई.एस. महा. जशपुर नगर	शास. महा. रागीचा जशपुर	प्रशासनिक
15	श्री मेदनी सिंह पटेल	शास. कन्या महा. कोरवा	शास. महा. वैशालीनगर दुर्ग	प्रशासनिक
16	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह	शास. महा. मानुप्रतापुर	शास. पी.जी. महा. कापूर	स्वीछक

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र

17	श्री प्रभात कुमार रवि	शास. महा. बिलाईगढ़, जिला रायपुर	शास. महा. पिछौरा, जिला महासमुंद	स्वीछक
----	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------

सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र

18	श्री नंदन सिंह स्वामी	शास. महा. बेमेतरा	शास. विज्ञान महा. रायपुर	स्वेच्छा
19	डॉ. अशोक पांडे	शास. महा. कस्तडोल	शास. महाविद्यालय बलौदावाजार-रायपुर	प्रशासनिक
20	श्री एस.के.एस. गजेन्द्र	शास. महा. किरंदुल	शास. महा. नारायणपुर	प्रशासनिक

सहायक प्राध्यापक इतिहास

21	डॉ. मोहम्मद खालिद	शास. महा. सुकुना	शास. एन.ई.एस. महा. जशपुर नगर	स्वेच्छा
----	-------------------	------------------	---------------------------------	----------

सहायक प्राध्यापक हिन्दी

22	डॉ. अलका श्रीवास्तव	शास. टी.सी.एल. महा. जांजगीर	शास. नवीन कन्या महा. रायपुर	स्वेच्छा
23	डॉ. प्रभात रज्ज	शास. पी.जी. महा. दंतवाडा	शास. पी.जी. महा. कुरुद	स्वेच्छा

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सहायक प्राध्यापक परागमन

24	डॉ. ए.के. विशाकी	शास्त्र विज्ञान महा विद्यालय	शास्त्र महा कक्षा	प्रशासनिक
----	------------------	---------------------------------	-------------------	-----------

सहायक प्राध्यापक गणित

25	श्री सुशील अहिर	शास्त्र ए.एल.ने. कला एवं विज्ञान महा विद्यालय	शास्त्र महा विद्या	स्वच्छा
26	श्री राम गोपाल धुटे	शास्त्र लाहोरी महा विद्यालय	शास्त्र पी.जी. महा विद्यालय	स्वच्छा

सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र

27	श्रीमती नंदा नेम	शास्त्र प्रादेशिक शास्त्र स्नातक महा विद्यालय	शास्त्र महा अमरापुर	प्रशासनिक
28	श्री ए.के. बोहरा	शास्त्र महा लोकाशास्त्र	शास्त्र महा अमरापुर	प्रशासनिक

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

29	श्री बी.के. देवान	शास्त्र महा लोकाशास्त्र	शास्त्र महा लोकाशास्त्र विद्यालय नया स्थानांतरण निरस्त कर दिया	स्वच्छा
----	-------------------	-------------------------	---	---------

सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान

30	डॉ. रेशमा लोकरे	शास्त्र महा साजा	शास्त्र कमला देवी महा विद्यालय	प्रशासनिक
----	-----------------	------------------	-----------------------------------	-----------

ग्रन्थपाल

31	श्री पी.आर. तिरोले	शास्त्र महा खरसेय	शास्त्र महा जशपुर नगर किया गया स्थानांतरण संशोधन कर शास्त्र पी. डी. महाविद्यालय रायगड	स्वच्छा
32	श्रीमती अनुकपा श्रीवास्तव	शास्त्र किराडीमल विज्ञान महा रायगड	शास्त्र महा भैरमा	स्वच्छा
33	श्रीमती दीप्ती पटनायक	शास्त्र पी.जी. महा कोरवा	शास्त्र टी.सी.एल. महा जाजगीर किया गया स्थानांतरण निरस्त	स्वच्छा

कीटा अभिकारी

-4-

34	श्री अजय कुमार विभा	शास. महा. मृगशीर्ष महा. विभा.	शास. महा. मृगशीर्ष विभा. महा. स्वतन्त्रता दिवस का आयोजन	स्वेच्छा
35	श्रीमती. पद्मिनी ताम्बुर	शास. महा. मानसरोवरपुर	शास. महा. कोटाबाग	प्रशासनिक

सिपेकीय समिति

36	श्री सतुहन लखन सादव सहायक टी.टी. 3	शास. महा. मानसरोवर	शास. महा. मानसरोवर	प्रशासनिक
----	---------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------

चतुर्थ श्रेणी

37	श्री खिलावन राम साहू तकनीकीय	शास. महा. मन्तरी	शास. महा. टी.टी.कोटाबाग	स्वेच्छा
38	श्री राजकुमार पाठे बुक डिपार्ट	शास. महा. मन्तरी	शास. महा. कोटाबाग	प्रशासनिक
39	श्री अरुण कु. तिवारी प्रयो. परिवारिक	शास. विज्ञान महा. मुगली	शास. महा. अकलतरा	स्वेच्छा
40	श्री महेशजल पटेल प्रयो. परिवारिक	शास. विज्ञान महा. बिल्ला	शास. कल्याण महा. बिल्लारपुर	स्वेच्छा
41	श्री को.आर. ध्रुव चौकीदार	शास. महा. परिवारिक	शास. कल्याण महा. मन्तरी	स्वेच्छा
42	श्री किर्लोद रात साठवुदे फरीश	शास. दुग्ध महिला महा. रायपुर	शास. महिला महा. रायगढ़	स्वेच्छा
43	श्री पुनेश्वर राम सिन्हा फरीश	शास. महा. सखामाली	शास. महा. केशवास	स्वेच्छा मृत्यु के पद विनम्र किया जाता है।

विश्वविद्यालय-सहायक कुल सचिव

44	श्री आर.के. कोठारी	प. विश्वानर शुक्ल ति. वि. रायपुर	गुरु घासीदास वि. वि. बिल्लारपुर	स्वेच्छा
----	--------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-5-

उपरोक्तानुसार स्थानांतरित एवं पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी अविलम्ब अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर आयुक्त कार्यालय को सूचित करें।

टीप- कालम् कर्मांक 5 पर अभिज्ञा योग्यता से निम्ने गये स्थानांतरण वाले अधिकारी/कर्मचारियों को टीए/डीए की प्राप्ति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
सब्य आदेशानुसार,

(सचिव) (सिस्टम) 27/6
अधीनस्थ, 27/6

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 27/06/2007

कर्मांक एफ 1- 50/2007/38

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, मान, मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
 3. मूल सचिव, संबंधित निश्चयविभाग, छत्तीसगढ़।
 4. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।
 5. संबंधित जिला कोषाख्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
 6. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
- की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

(सचिव) 27/6
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 27/06/2007

Handwritten signature and initials.

प्रति

प्राचार्य
श्री ॥ राठ महाविद्यालय
जिला - महाराष्ट्र (हिंगण)

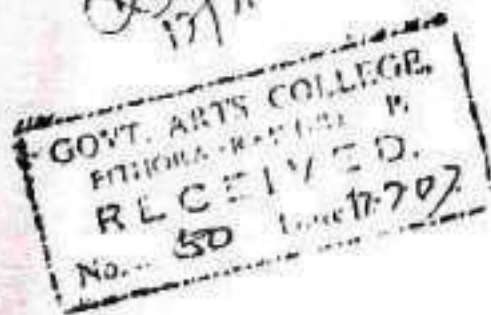
विषय:- कार्यालय ग्रहण करने का मत

महोदय,

हमारा शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
के आदेश क्र ५०५५-१-५०/२००७/३४ रायपुर दिनांक २७/६/०७
के अनुसार मैरा स्थानांतरण आदेशीय महाविद्यालय जिला
जिला-रायपुर से आदेश मिला विधायक जिला-महाराष्ट्र
होगा है, ये फलस्वरूप में आज दिनांक १७/०७/०७ के
आतः ११:०० बजे को कार्यवाही पर उपस्थित हो गया है
अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन

प्रस्तुत है।

जाय/लोग
आदेश कार्यवाही
केंद्र
महाराष्ट्र
जिला



महाराष्ट्र

जी.के.एस.के.

सहायक प्राध्यापक रायपुर
श्री ॥ राठ महाविद्यालय
जिला - महाराष्ट्र (हिंगण)

To,
The Principal
Govt. College
Pithora
Raipuri (C.G.)

Subject:- Official joining in the post of
Asst. Prof in English.

Ref:- Letter No F1-47/2012/38-1 dated 24.3.2017
of Govt. Higher Education, Raipuri (C.G.).

Sir,

With reference to the above mentioned
letter I hereby join as Asst Prof English at
Govt. College Pithora at ^{11.30 am}~~12.30 noon~~ sharp. I
will produce my medical certificate within
15 days. I assure you to deliver my best
as a teacher.

Thanking You

28.03.2017.

28/3/17 Principal
Govt College Pithora
Raipuri (C.G.)

Sincerely Yours
Dr. Shyamsunder Thakur



कार्यालय-प्राचार्य चन्द्रपाल ढड्डोना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा,
जिला-महाराष्ट्रगुन्ड (छ.ग.)

Affiliated To Pandit Ravishankar Shukla University Raipur
Email ID- govtcollege.pithora@gmail.com Phone NO- 07707-299373
Website- www.govtcollegepithora.ac.in College Code- 354

क्रमांक/334/

पिथौरा, दिनांक 10/10/2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने विषयक
संदर्भ :- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-1-18/2022/38-1
दिनांक 30/09/2022

—00—

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेशानुसार इस महाविद्यालय में डॉ. सीमा अग्रवाल सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के द्वारा आज दिनांक 10/10/2022 को अपरान्ह 02:30 बजे कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

सादर सूचनार्थ।



प्राचार्य
डॉ. चन्द्रपाल ढड्डोना
शासकीय महाविद्यालय पिथौरा
College Pithora
Distt-Mahasamund(C.G.)

प्रति.

प्रान्तार्थ

शासकीय-चन्द्रपाल डडसेना महाविद्यालय
पिथौरा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

विषय- कार्यभार ग्रहण करने कावत ।

संदर्भ :- ① सलीमगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी
भवन, अटल नगर, नया रायपुर, कोदरहा क्रमोड स्प-1-18/
2022/38-1 नया रायपुर दिनांक 30/09/2022

② प्राचार्य, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दन्तेनाड़ा, जिला-दन्तेनाड़ा (छ.ग.) के पत्र क्रमोड 665/दन्तेनाड़ा
/2022 दन्तेनाड़ा दिनांक 08/10/2022

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्रानुसार मेरा रुचानांतरण शासकीय
चन्द्रपाल डडसेना महाविद्यालय पिथौरा में हुआ है। मैं
शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्तेनाड़ा से
भारभुक्त होकर आज दिनांक 10/10/2022 को समय
पूर्वान्ह 10:30 बजे कार्यभार ग्रहण करने हेतु शासकीय
चन्द्रपाल डडसेना महाविद्यालय पिथौरा में उपस्थित हूँ।

अतः महोदयजी से निवेदन है कि मुझे कार्यभार
ग्रहण करने का कष्ट रहेगा।

संलग्न - संदर्भित पत्र की छाया प्रति

दिनांक - 10/10/2022

संलग्नित दन्ती (साक्षात्) नारी योगेय चन्द्रपाल डडसेना
पिथौरा नया रायपुर, कोदरहा महानदी जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

Chandrapal Dadsona Govt.

College Pithora

Dist-Mahasamund (C.G.)

आगत शाखा
चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा

जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
दिनांक 10/10/2022

भवदीय

जी.सी. सिंह ठाकुर

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
Mob. 8889770058

प्रत्तीसंगठ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

भारत

महागद्दी भवन, नवा रामपुर जटल नगर

— ० —

आदेश

नवा रामपुर जटल नगर दिनांक ०५ / १० / २०२१

क्रमांक एफ १-४७ / २०२१ ०५ १ - प्रत्तीसंगठ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं सहायक के अन्तर्गत पर दिनांक १२.०९.२०२० को परीक्षा के फल पर नियुक्ति हेतु चयनित (महोदय परीक्षा २०१९) विभिन्न अंशों को अंशवार प्रमाण करने के दिनांक के अन्तर्गत रूप से अंशवार आदेश तथा परीक्षा के फल पर अंशवार अधिक वेतन लेवल १० में प्राथमिक वेतन रूपरेखा २०२० - उच्च समय समय पर देय भुगतान वाली सहित ०३ वर्ष की परीक्षा पर नियुक्ति करने हुए तबही उनकी नाम के सम्मुख स्थान - ५ में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

क्र	पद	अंशवार के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पद	पदस्थापना स्थान का नाम
०१	०२	०३	०४	०५
०१	०१	श्री अमृत लाल गौरी ग्राम-जलपुर पोस्ट-जेन्नुवा तहसिल जिला-महाराष्ट्र (महाराष्ट्र)	OBC	राजकीय दाऊ कल्याण सिंह सहायक निदेशक बलीदासपुर
०२	०२	श्री लोकेश कुमार ग्राम-सोन पुरी पोस्ट-गोडी सदर तहसील जिला-महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) पिन ४७२१०१	SC	राजकीय दाऊ कल्याण सिंह सहायक निदेशक जिला-महाराष्ट्र
०३	०३	श्री विक्रम कुमार जामवाल १०८ / ३५ पुराना उच्च न्यायालय के पीछे हिमरायपुर इंदिरा नगर गार्ड क्रमांक ३७ दिनांकपुर (महाराष्ट्र) पिन ४७२००१	OBC	राजकीय निदेशक केशवानी सहायक निदेशक जिला-महाराष्ट्र

पिन

04	07	सुश्री हेमा साहू, मकान नं. 7/133, साहू आटा एवं परांला चकरी के पास संतोषी नगर, खमतराई, रायपुर। पिन नं 492008	OBC	शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला-बेतवा
05	08	श्री जितेन्द्र कुमार पटेल ग्राम-डोगरीपाली पोस्ट-कलेण्डा (सिधोडा) तह. -सरायपाली, जिला-महाराष्ट्र। पिन नं 493558	OBC	शासकीय महाविद्यालय मिर्जापुर जिला-महाराष्ट्र
06	09	श्री मेघराज पटेल, आकाश नगर फजलपुर, सरदार धरा-2, राजीव गांधी बाई, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) पिन नं 494001	OBC	शासकीय महाविद्यालय बस्तर जिला-जाजगीर राधा
07	10	सुश्री नेहा साहू, ईदगाह आटा मली नं 10 विवेकानंद आश्रम के पीछे रायपुर, छ.ग. पिन नं 492001	OBC	शासकीय सत्यनारायण अदालत कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय गिल्डा नेवरा जिला-रायपुर
08	11	सुश्री संतोषी पटेल, 94-पंचवटी नगर, बीडरबादर, रायगढ़, छ.ग.। पिन नं 496001	OBC	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरीद जिला-जाजगीर राधा
09	12	श्री योगेश कुमार डाहरे, द्वारा मधुबाला दिवाकर, क्वार्टर नं जी 103, एनआईटी कोली-नी रायपुर, छ.ग.। पिन नं 492010	SC	शासकीय दीरगंगा अंबरी बाई लोधी महाविद्यालय पराशिया, जिला-मुर्गेली
10	13	श्री दानेश्वर कुमार तमा, ग्राम व पोस्ट-ओधी, धाना-भिलाई, जिला-दुर्ग, किसानपारा जिला-मुख्यालय दुर्ग (छ.ग.) पिन नं 490021	OBC	शासकीय महाविद्यालय वैशाखीनगर दुर्ग
11	14	सुश्री ज्योति मेन्डे, द्वारा धर्मेश साहू, ई-दे-न बैक, बैक ऑफ इंडिया, संजय मार्केट जगदलपुर, छ.ग. पिन नं 494001	SC	शासकीय पंडित जगहर लाल मेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेतवा

36	40	सूची सेवा, रूम नं-03, ब्लॉक नं-02, सड़क नं-00 होस्पिटल रोकर 00, मिलाई नगर, जिला-दुमै, छत्ताई पिन नं-400009	84	शासकीय कुशलता की मासिकतात्मक जांच कराने नगर, सतलुगगांव
----	----	---	----	--

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी -

1. (क) उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्थायित्व देय होगा -
 प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
 द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परीक्षा अवधि में स्थायित्व के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवाक की तरह प्राप्त होंगे।
- (ख) परीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवाक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा।
2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पदभार ग्रहण करते समय सुरुवात शैक्षणिक योग्यता राखी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, विभागों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, दायीयम लायसेंस, वेन कार्ड, पारसपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
6. अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
7. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

8. परीक्षा अर्हता के दौरान किसी भी माह में एक माह का नॉटिंग देकर अपना एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेनाएं समाप्त की जा सकेंगी।
9. अगली को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर सदस्यगणों को अपने कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जायेगा।

10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अधिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
11. अगली द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि मूल्य पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक् किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3. उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रवर्तित W.P.C. 591, 592, 593 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम/आदेश निर्णय के अधीन होगी। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी याचिकाओं के अलावा ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में यदि कोई याचिका होगी तो, उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर. खान)
अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 05/10/2021

पृ. क्रमांक एक 1-47/2021/38-1,
प्रतिलिपि :-

01. अवर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मन्त्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखापाल, रायपुर, छत्तीसगढ़

- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके आदेश क्रमांक 2055/06/चयन/2020, दिनांक 29/09/2020 तथा आपन क्रमांक 470/18/चयन/2020 दिनांक 07/09/2021 के संदर्भ में,
- 04 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
 - 05 समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़,
 - 06 संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर,
 - 07 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
 - 08 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, जगदलपुर/समगुजा/दिल्लीपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.),
 - 09 उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर,
 - 10 माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर,
 - 11 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
 - 12 समस्त संबंधित प्राचार्य,

आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत संश्लेषित दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं सन्तुष्ट होने के उपरान्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अनिलेख हेतु रखें।

13. संबंधित अभ्यर्थी
 14. आदेश फोल्डर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अरवि सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::**

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

— 0 —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04/01/2022

क्रमांक एफ 1-18/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 04.03.2021 को सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारम्भिक वेतन रुपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख खाना-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

सं क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
1.	01	श्री ओम प्रकाश देवांगन, द्वारा श्री बिसाहू राम देवांगन, ग्राम-कुसुमघटा, पोस्ट-नेउरगांव कला, तहसील-बोडला, जिला-कवरीधाम (छ.ग.)	OBC	शास. इंदिरा गांधी महाविद्यालय, पण्डरिया
2.	04	श्री विक्रम कुमार, पिता श्री होरीलाल, ग्राम-लोतलोता, पोस्ट-गोपालपुर, तहसील व धाना-कटघोरा, जिला-कोरवा (छ.ग.), पिन-495450	OBC	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीवाजार, जिला-कोरवा
3.	05	श्री प्रगति रजक, ग्राम-रनमांठा, पोस्ट-बुनगा, धाना-पुरौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.), पिन-496100	OBC	शास. संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूगा

पिछा

4.	07	श्री ज्ञानेन्द्र बजारे, ग्राम-भालूकोना, पोस्ट-भरमुदिगा थाना व तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी (छ.ग.), पिन-493063	SC	शासकीय महाविद्यालय, भवाय
5.	08	श्री मदन पटेल रूम संख्या-सी-5, शासकीय पॉलीटेक्निक परिसर कोरवा (छ.ग.), पिन-495684	OBC	शासकीय किशोरीमय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायगढ़
6.	09	सुश्री भावना पुरविया, बालानी चौक, भिवेकानंद वार्ड, मुगेली (छ.ग.)	OBC	शासकीय कर्मी प्रसाद कला एवं वार्णिज्य महाविद्यालय, ज्ञास्य
7.	10	श्री मनीष कुमार, मल्ली नं-0, देवनगर, भिवानी, थाना व जिला-भिवानी, राज्य हरियाणा, पिन-127021	UR	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरदुल
8.	11	श्री शुभम डेरिया, वार्ड क्र.-2, गुरुनानक वार्ड, बिल्हा, जिला-बिलारापुर (छ.ग.)	OBC	शासकीय पं. माधवराव सष्टे महाविद्यालय, पेण्डुरोड
9.	12	सुश्री लक्ष्मी साहू, मकान नं.-272, वार्ड क्र.-29, आदर्श नगर, घोडीबहार, राणीप सबरस्टेशन कोरवा (छ.ग.), पिन-495677	OBC	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली, जिला-कोरवा
10	13	सुश्री प्रिया, मकान नं.-154/3, ग्राम-पंडरी, थाना-रघुनाथ नगर, जिला-बलरागपुर (छ.ग.)	OBC	शासकीय लखमसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज
11	14 ✓	श्री शेखर कानूनगो, मकान नं.-150/1, वार्ड नं.-10, ग्राम-ढायाखार, पोस्ट-भगतदेवरी, थाना-सांकरा (जोंक), तहसील-पिथौरा, जिला-महाराष्ट्र (छ.ग.), पिन-492112	UR	शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा
12	17	सुश्री स्वाति ठाकुर, मुकुट नगर गार्डन के पास, पुरानी पानी टंकी के पीछे, राजकुमार कॉलेज के पीछे, रायपुर (छ.ग.)	UR	शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागांव, अटल नगर नवा रायपुर

54	61	श्री देवनाशरण सिंह नेताप, मुकाम-राज कालोनी कलमी पोस्ट-तहसील-धाना-मालखरीदा, जिला-जाजगीर बापा (उ.प्र.)	SI	शासकीय नवीन कक्षा महाविद्यालय कोण्डाबाग
55	62	श्री बशीर मोहान, ग्राम-सकलपासी, पोस्ट-माताजीह, धाना-सरसीवा, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा (उ.प्र.)	SC	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दलेगाड़ा

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

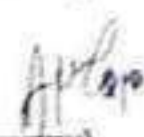
- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
- शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, रथाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
- अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

9. अध्यक्षी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर सदस्यत्वना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मान्य जायेगा।
10. आदेश में कोई टक्का भूति होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में सन्तुष्टि जानकारी ही मान्य की जावेगी।
11. अध्यक्षी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि मूलतः सत्य मने, तो उन्हें बिना किसी पूर्ण सूचना के सेवा से पृथक् किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत W.P.(C) 591, 592, 593 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अन्तर्गत होगी। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी याचिकाओं के अलावा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में गणित विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान) 
अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-18/2021/38-1.

नया रायपुर अटल नगर दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 5504/01/चयन/2020/08, दिनांक 16.03.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. आयुक्त, दुर्ग/बिलासपुर/दस्तर/रायपुर/सरगुजा सभाग, (छ.ग.)
06. संचालक, कोष, नरखा एवं पेशन, इंदिराजी भवन, नया रायपुर अटल नगर,

समस्त संबंधित कलेक्टर..... (छ.ग.).

क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/रायगुजा/बस्तर. (छ.ग.).

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर.

समस्त संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.).

संबंधित समस्त प्राचार्य ।

आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे.

12. संबंधित अभ्यर्थीगण ~~श्री ओ.ए.ए. काठको~~

13. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर/सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर जटल नगर,
- - 0 - -
:: आदेश ::

नवा रायपुर जटल नगर दिनांक 21/01/2022

क्रमांक एफ 1-33/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 06/07/2021 को सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर नियुक्ति हेतु घयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारम्भिक वेतन रुपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय सहगर्ई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त कर्ते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख खाना-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	घयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01	01	श्री विजय कुमार साहू पता- ग्राम-कोदनाट, थाना-कांकर, तह+जिला-उ.प्र. कांकर (छ.ग.) पिन-494334	OBC	शासकीय आदर्श महाविद्यालय कांकर
02	04	श्री आवेश गोयल पता- द्वारा रहना ज्देली, गछली तालाब हे सामने, उमरा रोड खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496661	UR	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगद
03	05	सुश्री पद्मा सोमनाथ पता- द्वारा श्री गहेश सोमनाथ जी-12, साई विला भाटागांव रायपुर (छ.ग.) पिन- 492013	OBC	स्व. बिंदरवरी नगेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारो जिला-दुर्ग
04	06	सुश्री हर्षा देवानी पता- थाना सीटी कोतावाली, गीतांजली नगर गली नं.04 कश्यप कॉलोनी पुराना बस स्टैण्ड के पास दिलासपुर (छ.ग.)	UR	शासकीय नवीन महाविद्यालय सखरी

निलर

75	145	श्री गोपी राम, पता- राम-भदवाधरस, पीर-स.क.री, तह-डीपटी रोहास, जिला- साखीन (छ.ग.)	ST	राजकीय मदीन कन्या महाविद्यालय, देवरपुर
76	146	श्री कमलसुख लाल वर्मा (OL), पता- कमलसुख लाल वर्मा, काम डैजमरी, पो मुमरकीत मुई, थाना- भुमना, तह व जिला- राजनाथगंज (छ.ग.)	OBC	राजकीय आचार्य पद की गांव मुई महा महाविद्यालय महाविद्यालय, मदीनसुख
77	149	सुश्री प्रवीता पुन, पता- चार्ड न. 14, खरखान कपिल की पारा, आभापारा बाजीव जिला- साखीन (छ.ग.) विन- 491226	ST	राजकीय कन्या मदी महाविद्यालय डीपटी, जिला-साखीन
78	151	सुश्री निर्मला, पता- राम सारागंज, पो दुलहा, थाना-पुन, जिला-परिगंध (छ.ग.)	ST	पंडित राम ककर मिश्र राजकीय महाविद्यालय, डैजमरी, जिला-साखीन
79	152	श्री ईश्वर लाल पटेल (OA), पता- ग. क. 634 चार्ड क. 10 राम-कनकास पीर-भदवाधर, थाना-राम - परासमाली, जिला-महारापुर (छ.ग.) विन-493550	OBC	राजकीय महाविद्यालय, विमरी, जिला-महारापुर
80	155	सुश्री प्रमिता सिंह, पता- चार्ड नं- 07, कामन न 6-341 राजापारा थाना-रिही पबेलवाली, तमगाव तह.स जिला-समगाव (छ.ग.)	ST	राजकीय मदीन महाविद्यालय, देवरपुर जिला-साखीन
81	159	सुश्री मनीषा अंजली सिनी, पता- राम-सना, माझाटोली पो-थाना व तह-सना, जिला- जमपुर (छ.ग.)	ST	राजकीय महाविद्यालय, विमरीपुर, जिला-सूरजपुर
82	162	सुश्री मायकी नेताम, पता- ग. नं 254 चार्ड -17, कुन्दुखारा बाखीव, तह-जिला-साखीन (छ.ग.) विन- 491226	ST	राजकीय महाविद्यालय, खरखान, जिला-दुम
83	163	श्री दिलेश्वर सिंह सिदास पता- चार्ड क. 6, मगर फलामत डभरा, थाना-तह-डभरा जिला- जाजगीर-धंधा (छ.ग.) विन- 495088	ST	राजकीय मदीन महाविद्यालय, हसौद, जिला-जाजगीर धंधा
84	164	श्री आशीष एवका, पता-डी-48, पैरा-आई अभिषेक विहार मंगला, जिला- विलासपुर (छ.ग.)	ST	राजकीय महाविद्यालय, देवर, जिला-देवर

85	169	श्री स्वतंत्र कुमार जटाशकर, पता-ई/63 चंदनवन नगर विपरा दिसापुर (उ.प्र.) पिन-495223	ST	राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय स्मृति शासकीय महाविद्यालय, झज्जलवा, जिला-बलरामपुर
86	168	श्री मोरेश मुंज, पता- गौडदास भवन की चारा जमोका नगर चौक, बलरामपुर जिलापुर (उ.प्र.)	SI	शासकीय स्त्री विवेकानंद महाविद्यालय, बालाहा जिला-बलरामपुर
87	170	सुशी अनुषा मिश्र, पता-ग्राम गोरना, पोस्ट, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (उ.प्र.) पिन- 497118	ST	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
88	172	श्री उत्तम सिद्धा, पता- हावरा नं 149 लहरा घाट, राम, पोस्ट-हमरा, बलरामपुर-बलरामपुर जिला बलरामपुर (उ.प्र.) पिन- 498051	SI	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिर्वा, जिला-बलरामपुर
89	176	श्री प्रदीप मिश्र, पता- वार्ड के 05 म.नं 749 चौईएल चौई घाट दिसापुर बलरामपुर, जिला- बलरामपुर (उ.प्र.)	ST	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
90	178	श्री हुसेन कुमार मारकण्डे (H.M.), पता- म. नं 12 लहरा घाट, राम, उत्तर, ग्राम नं 104-बालरामपुर घाट, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर (उ.प्र.)	SC	शासकीय नालागांव राव मण्डल नया महाविद्यालय, बलरामपुर

2/ सक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाफपेज्ड रेंज होगा-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 60 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत
परन्तु परीक्षा अवधि में स्टाफपेज्ड के साथ अन्य शर्तों शासकीय सेवक की तरह प्राप्ता होगी।
- अन्यथा को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याज्ञा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यालय प्रदान करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदाता ग्रहण करते समय सुरक्षा सैलियन योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रदाता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ जमा करना होगा।
- शासकीय अदृशशासकीय विभागों, विभागों में कार्यरत होने की स्थिति में आवेदकों को उपस्थिति के समय निवेदन का अनिवार्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:- भवनलय :-

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

- - 0 - -

:- आदेश :-

123 FEB 2022

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक /02/2022

क्रमांक एक 1-32/2021/38-1 :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 26.08.2021 को सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अन्यर्धी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारम्भिक वेतन रुपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिदीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख खाना-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है-

स. क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01	01	श्री विनायक साहू, ग्राम- सुपेला पोस्ट-सेमरा, तह. -भखारा, जिला-धमतरी पिन नं. -493770	OBC	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर, जिला-बस्तर
02	04	सुश्री प्रतिभा साहू, कबीर निकेतन राम दरबार मंदिर के पार, अक्खपुरी भाठागांव रायपुर, पिन-492013	OBC	शासकीय दुब महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर
03	07	सुश्री विभा रातप्पही, मकान नं. एच-1, वायरलेस कॉलोनी पुलिस लाइन रायपुर, जिला-रायपुर	UR	शासकीय बदीप्रसाद कला एवं याणिज्य महाविद्यालय आरंग, जिला-रायपुर
04	08	श्री मेमन साहू, ग्राम व पोस्ट-घटपर, थाना-विचोरा, तह.-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.),	OBC	शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय अम्बागड चौकी, जिला-राजनांदगांव

48	81	सुश्री दीपा रानी खलखो, ग्राम भोरत व तहसील-कांसावेल सिन्हा कोलोनी, जिला-जशपुर, (छ.ग.), पिन-496223	ST	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोवरा नवापारा, जिला-रायपुर
49	82	सुश्री कैरोलिन एक्का, मकान नं.-2060, स्ट्रीट नं. 4, शिव बिहार कोलोनी, माहगंद बिलासपुर, (छ.ग.)	ST	शासकीय दु.ब. महिला महाविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर
50	84	सुश्री दीपिका निकुंज, वार्ड नं. 05, हाई स्कूल पारा लेलूंगा, पोस्ट, थाना व तहसील-लेलूंगा, जिला-रायगढ़, (छ.ग.), पिन-496113	ST	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़
51	86	सुश्री लता भोई, वार्ड नं. 4, रायन भाटा पिथौरा, ग्राम, थाना व पोस्ट-पिथौरा, जिला-महासमुंद, (छ.ग.), पिन-493551	ST	नवीन शासकीय महाविद्यालय धिरको, जिला-महासमुंद
52	87	सुश्री टिकेश्वरी, ग्राम-धुमरपाली, थाना-पिथौरा, तहसील-महासमुंद, जिला-महासमुंद, (छ.ग.), पिन-493551	ST	शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला-महासमुंद
53	88	सुश्री नदनी चन्द्रवशी, मकान नं. 40, वार्ड नं. 2, ग्राम-भण्डारपुर, पोस्ट-भोथाली, तहसील व थाना-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, (छ.ग.), पिन-491445	ST	शासकीय कमला देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव
54	89	सुश्री साधना लकड़ा, मकान नं. एचआईजी-2/516, सेक्टर 29, नया रायपुर, (छ.ग.), पिन-492002	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागांव अटल नगर, जिला-रायपुर
55	90	सुश्री शशिकान्ता भगत, ग्राम-बनगांव, मकान नं. 97, उरांव टोली, थाना-फरसाबहार, जिला-जशपुर, (छ.ग.)	ST	शासकीय बाबा साहेब देश पाण्डे महाविद्यालय कुनकुरी, जिला-जशपुर

// 10 //

73	116	सुश्री रोशनी बेक, ग्राम, पोस्ट व तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर (स.म.)(छ.म.), पिन-497110	ST	अरुण प्रताप सिंह शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ़ बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
74	117	श्री शैलेंद्र सिंह ओट्टी, मकान क्रमांक-241 ग, ग्राम व पोस्ट-कोटभीकला तहसील-पेण्ड्रा, जिला-गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, (छ. म.)	ST	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय रायलपुर, जिला-बिलासपुर
75	118	सुश्री तारा ठाकुर, ब्लॉक न.-8 ए टीघर कॉलोनी दल्लीराजहरा, जिला-आलाप, (छ. म.)	ST	शासकीय कमला देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनानंदगांव, जिला-राजनानंदगांव

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
- शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1981 एवं विभागीय सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत शासित होगी।

// 12 //

04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर संभाग, (छ.ग.).
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर,
07. कलेक्टर (छ.ग.).
08. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर (छ.ग.).
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर,
10. जिला कोषालय अधिकारी (छ.ग.).
11. संबंधित समस्त प्राचार्य।
आदेशानुसार कृपया संबंधित जो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक
दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का
परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे। उक्त सभी
दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,
12. संबंधित अभ्यर्थी.....
13. निज सचिव, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर,
14. आदेश फाल्डर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भारतीय लोक सेवा आयोग
उच्च शिक्षा विभाग

॥ मंत्रालय ॥

महात्मा भवन, नया रायपुर जटल नगर,

— 0 —

॥ आदेश ॥

नया रायपुर जटल नगर दिनांक 10/03/2022

क्रमांक एक 1-37/2021/38-1 : भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 29.07.2021 को सहायक प्राध्यापक (मौखिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (मौखिक परीक्षा 2019) निम्न उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अर्थात् रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (मौखिक शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्राथमिक वेतन रुपये 67,700/- तथा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्ति करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कोलम-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

स. क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04
01	श्री शिवेन्द्र कुमार, ग्राम-बलकसा, पोस्ट-नागलवाह, थाना-ढेलकाडीह, तहसील च जिला-राजनांदगांव (छ.ग.), पिन-491111	OBC	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव, राजनांदगांव
02	श्री भरत कुमार, कमरा नं.-0, कर्मचारी टॉजिट्ट हॉस्पिटल, जैतालूर रोड, बीजापुर (छ. ग.)	OBC	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय भोपाल-पदम, जिला-बीजापुर
03	श्री धनंजय बरेल, 67, महंतपारा, ग्राम-डुमरपाली, पोस्ट-पटेलपाली, थाना/ब्लाक - पुसीर जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	OBC	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
04	श्री संजय परगनिहा, 14, दुर्गा मंदिर के पास, कान्दवरी नगर, दुर्ग (छ.ग.), पिन-491001	OBC	नवीन शासकीय महाविद्यालय जामुल, जिला-दुर्ग
05	सुश्री साहिबरा, ई.डब्ल्यू.एस.-718, नवीन स्कूल के पास, आदित्य नगर, दुर्ग (छ.ग.), पिन-491001	UR	शासकीय आदर्श महाविद्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग
06	सुश्री शुभा मिश्रा, 7, मैदान पथ, चौथे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.), पिन-492010	UR	नवीन शासकीय महाविद्यालय मुदिहारी, जिला-रायपुर

निम्न-

24	श्री लोचन सिंह वर्मा, तालाब पार, नयापारा, थाना-बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	OBC	शासकीय गुण्डापुर महाविद्यालय जिला-कोण्डागांव	स्नातकोत्तर कोण्डागांव
25	सुश्री दीपिका, श्री सत्येन्द्र थापव, म.नं.-11, गार्ड नं.-5, मरिया रोड, दाउपारा अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.), पिन-491225	OBC	शासकीय महाविद्यालय जिला-बालोद	अर्जुन्दा
26	श्री विक्रम कुमार देवांगन, मकान नं.-403, ग्राम व पोस्ट-अर्जुनी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	OBC	शासकीय महाविद्यालय जिला-वस्तर	रांगवाल
27	सुश्री निरुपा, ग्राम-डुमरावांगवां, पोस्ट-बारना, जिला व तहसील-धमतरी (छ.ग.), पिन-493773	OBC	शासकीय महाविद्यालय जिला-धमतरी	मगरलौड
28	श्री अमेश कुमार घट्टा, द्वारा श्री बी.आर.खोपरागड़े, रुद्र चौक, विकास विहार कॉलोनी, रायपुरा, रायपुर (छ.ग.), पिन-492013	OBC	शासकीय दाला साहेब महाविद्यालय कुनकुरी, जिला-जशपुर	दशपाण्डे
29	सुश्री रेणुका सिन्हा, ग्राम-खैरझिटी, मकान नं.-168, गार्ड नं.-14, पोस्ट-डुमरडीह खुर्द, धुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.), पिन-491441	OBC	नवीन शासकीय महाविद्यालय टेलकाडीह, जिला-राजनांदगांव	
30	श्री अनिल कुमार चक्रवर्ती, मकान नं.-419, ग्राम-दादर खुर्द, थाना-मानिकपुर चौकी, जिला-कोरबा (छ.ग.)	OBC	शासकीय रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर, जिला-सूरजपुर	स्नातकोत्तर
31	सुश्री सुमन पटेल, ग्राम-कोहाकुड़ा, थाना-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	OBC	शासकीय महाविद्यालय जिला-महासमुंद	पिथौरा
32	सुश्री हेमपुष्पा चंद्रा, द्वारा श्री सुदामा चंद्रा, स्टेशन रोड, सक्ती, थाना-सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.), पिन-495689	OBC	शासकीय कांती कुमार भारतीय महाविद्यालय सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा	

69	श्री हितेश कुमार मकान क्र-252/घ घाट मोस्ट न धाना-अमनपुर जिला-समभूर (B) म. दिन-403001	51	नवीन शासकीय महाविद्यालय दिल्ली, जिला-पन्नातरी
----	---	----	--

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी -

1. उपरोक्तानुसार 60 वर्ष की परिदीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाफवेज देय होगा -
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिदीक्षा अवधि में स्टाफवेज के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवा की तरह प्राप्त होंगे।
2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पदभार ग्रहण करते समय सुरुंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा करना होगा।
4. शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निक्तियों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पारापोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
6. अभ्यर्थी की परिदीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
7. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
8. परिदीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
9. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा।
10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से वृत्तक किया जा सकेगा तथा उराके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में साहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में

मिल -

में माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी(एस) 4151/2021 श्री योगेश कुमार शर्मा एवं अन्य विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य में याचिकाकर्ता ने जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है उसमें सहायक प्राध्यापक भौतिकी का एक पद सुनवाई की अगली तिथि तक रिक्त रखा जावे, डब्ल्यूपी(एस) 1213/2021 श्री टिकेन्द्र साहू विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य में जिस पद के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया है, उस पद के लिए अर्हता वाले क विरुद्ध की गई कोई भी नियुक्ति वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी, डब्ल्यूपी(एस) 3951/2021 डॉ. राहुल मेहता विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य, डब्ल्यूपी(एस) 4026/2021 सुश्री भारती गजेन्द्र विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य, डब्ल्यूपी(एस) 2148/2021 सुश्री दीपा चतुर्वेदी विरुद्ध छ.ग. शासन एवं 02 अन्य दाखल होना बताया है जिसमें याचिकाकर्ता ने सहायक प्राध्यापक भौतिकी के पद के लिए जिस श्रेणी में आवेदन किया है, उसका एक पद सुनवाई की अगली तिथि तक रिक्त रखे जाने निर्णय दिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त गौतम शास्त्र विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी। 4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण विषयों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हिना अनिमेष नेताम)
संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10/03/2022

पृ. क्रमांक एफ 1-37/2021/38-1,
प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1481/01/घयन/2020/02, दिनांक 06.08.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. आयुक्त, रायपुर/दिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर संभाग, (छ.ग.),
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित कलेक्टर,
08. क्षेत्रीय अपर संचालक,
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
11. संबंधित समस्त प्राध्यापक

आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त अन्यथा को कार्यभार ग्रहण करावे। उक्त सभी दस्तावेजों की अन्यथा द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,

निर्देश...

२०. तत्कालीन सरकार
२१. अनेक कार्य
२२. का का सुधारण एक आवश्यक कार्यकारी भी अधिक।

[illegible]



**CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE
PITHORA, DISTRICT MAHASAMUND,
(CHHATTISGARH)-493551**

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC act

Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website www.govtcollegepithora.ac.in Phone No.07707-299373 E-mail: govtcollege.pithora@gmail.com

6.2.2 Implementation of e-governance in areas of operation

1. Administration
2. Finance and Accounts
3. Student Admission and support
4. Examination

Screen Shots of user interface

1 Implementation of e-governance in area of Administration

- (a) Planning and Development: to use ICT in the process of planning college-event and activities, institute uses personal e-mail. Important notice and report are also circulated via e-mail.
- (b) College staff uses Smartphone and laptop with inbuilt social app like Gmail to communicate.
- (c) College faculty members has also created a YouTube channel their own name through which we upload about the teaching programs.
- (d) Some of the faculties use Google classroom to connect with student. Apps like Google meet, Zoom, Webex, YouTube are used for teaching and learning through online classes.
- (e) Internal Assessment, feedback collection, collection of information and quizzes are organized through Google form and offline.
- (f) WhatsApp group help to provide the brief notice of any event to be happened on college following classes are helped through WhatsApp's: all UG & PG classes. Besides, many students contact by their phone directly to the Concerning teacher. important information is available to staff, student and other for their convenience.
- (g) The email addresses are available for student, to send their e-copy of assignment, Besides, the teacher can send study material from their personal e-mail into the student mail address, if needed.

2 Implementation of e-governance in area of operation Finance and Accounts

Salary of staff is paid through bank by digital transaction. All JBS (management committee) Member are issued checks, only e student pays their Admission fees by cash system. all scholarships are paid through online DBT system. Students need their account number linked with mobile and Aadhar number, which is necessary according to scholarship system.

College has no tie-up with any private agency to take help in its financial activities through ICT.

3 Implementation of e-governance in area of Operation student admission and support

Admission process is decided by the university there is online system filling application form, it is a centralized system and the applicant come for admission separately wherever they want to admit, Merit list of admission is disclosed in college website and notice board.

4 Implementation of e-governance in area of Operation Examination

Annual and semester examination portal is conducted by the university, college follows according to its instructions. This year 2021-22 Examination in this Covid-19 disease period, the examination paper was uploaded in college website and WhatsApp group as well to give help student for their exam purpose, this was also instructed by the university.



Principal
Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Distt-Mohasamund(C.G.)

[illegible]

कल्याण

I solemnly swear to affirm that I will be faithfully bear true allegiance to India and to the Government of India as by law established and I will carry out the duties of my office loyally, and with impartiality.

Signature 

(जिस कर्मचारी को यह सेवा मिलना दी जाती है उसकी ओर से उसके घर के अनुहार ऐसा कोई दुर्घटना या दुष्ट हो जाय कि उससे साक्षात् या किसी व्यक्ति के रूपों का अनुसारा हो तो जो यदि कर्मचारी ने अपने घर से उसके कार्य के लिए गुलाब के तालों में रखा है वह दण्ड भाला उन से सौका । शासकीय कर्मचारी को पर्याप्त करने की यह एक शर्त है ।)

(Money deposited in the Saving Bank as security for the proper discharge of his official duties by the official to whom this service book is used is liable to forfeiture for any misconduct, act or omission on his part in virtue of his official position which involves loss of money either to the Govt. or to any person, this is a condition of his employment in the Government Service.)

1. नाम तथा उपनाम (Name & Surname)	सुखदेव सिंह चौधरी		G.P.F. Account No.	C.E.D																									
2. पिता का नाम (Father's Name)	श्री. श्रीमान सिंह चौधरी		380759																										
3. निवासी का डाक पता (Postal Address)	भोजपुरावाली (देवा) तह. भालासमुंद, डिकान-रायपुर																												
4. नाम लिखि शब्दों तथा अंकों में आठसह सत्रासी दुसरासह सौ सत्रासह	(Date of birth in figure & words)		(18-1-1967)	प्रमाणित (1-1-67)																									
5. ठीक ऊंचाई (Exact height)	5 फीट 10 इंच	b. जहाँ वह वा. को. प्रमाणित है (Caste Religion or race)																											
6. धर्म (Exact Religion)	हिन्दू																												
7. पढ़ाव के विधान (Mark of Identification)	मार्क के फोटो का चित्र																												
8. शैक्षणिक योगता विधिक के समय (Educational Qualification)	<table border="1"> <tr> <th>परीक्षा का नाम</th> <th>वर्ष</th> <th>संद का वि. नि.</th> <th>अंको</th> <th>विषय</th> </tr> <tr> <td>(i) हायर सेकेंडरी</td> <td>1984</td> <td>आर. वि. 1</td> <td>70</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>(ii) बी. ए.</td> <td>1988</td> <td>व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.</td> <td>70</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>(iii) एम. ए.</td> <td>1990</td> <td>व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.</td> <td>70</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>(iv) पी. एच. डी.</td> <td>1992</td> <td>व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.</td> <td>70</td> <td>II</td> </tr> </table>				परीक्षा का नाम	वर्ष	संद का वि. नि.	अंको	विषय	(i) हायर सेकेंडरी	1984	आर. वि. 1	70	II	(ii) बी. ए.	1988	व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.	70	II	(iii) एम. ए.	1990	व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.	70	II	(iv) पी. एच. डी.	1992	व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.	70	II
परीक्षा का नाम	वर्ष	संद का वि. नि.	अंको	विषय																									
(i) हायर सेकेंडरी	1984	आर. वि. 1	70	II																									
(ii) बी. ए.	1988	व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.	70	II																									
(iii) एम. ए.	1990	व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.	70	II																									
(iv) पी. एच. डी.	1992	व. रा. वि. वि. रा. रा. रा.	70	II																									
9. कर्मावली के सन्दर्भ में अंगुलि एवं उंगलियों के निशान (Thumb and finger impression of Left hand)	    																												
10. आधिकारिक कर्मावली के सन्दर्भ में निशान (Signature of Govt. Secretariat with date after every 5 years)	    																												

परिवार की सूची

क्र.सं.

परिवार के सदस्य का नाम

परिवार के सदस्य

- (1) Smt. Singh Laxman Self
- (2) Smt. Laxman Laxman Wife
- (3) Rahul Laxman Son
- (4) Atul Laxman Son

Form G.P.F. 3

For use by subscriber having family

Provident Fund No. 28075.9

GENERAL Provident Fund Nomination

M.P. Finance Dept. No. F.B. 9 1473 R-11/IV dt. 10-9-75 See Rule 8 (3)

I, Smt. Singh Laxman

having no family as defined in the rule 2 of

The General Provident Fund Rules, hereby nominate the persons/persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid. This nomination shall become invalid in the event of my subsequently acquiring a family.

Name & Full address of the nominee/nominees	Relationship with the Subscriber	Age of nominee	Share payable to each	Contingencies on the happening of which the nominee shall become entitled	Name, address & relationship of the person/ persons if nomination right of the nominee shall pass in the event of his/her pre-deceasing subscriber
1. Smt. Laxman Laxman, wife Vill. P.O. Manghapali (Rau) Via. Bagbhadra Distt. Mahasamund (C.G.)	2. Wife	3. 31 years	4. Full	5. उत्तराधिकार	6. (1) Rahul Laxman (2) Atul Laxman (3) Atul Laxman (4) Atul Laxman (5) Atul Laxman (6) Atul Laxman

Dated 08-12-2000 day of Friday at Mahasamund

two witnesses to signature

1. Name Vijai Kumar Address govt college Mahasamund

2. Name C.S. Rayhan Address also

Signature of Subscriber

Space for use by Head of Office/Accountant General's Office

Nomination by Subscriber/Ac.

Designation

Date of receipt nomination

Date

Signature of Head of Office
Gent. RAJESH PRAKASHAN
Distt. MAHAKER, M.P.

Nomination For Family Pension

(REFERRED TO IN RULE 117)

I hereby nominate the person/persons or persons who, are members of my family to receive in the order shown below the family pension which may be granted by Government in the event of my death after completion of 25 years qualifying service.

Name and address of	Relationship with Government Servant	Age	Whether Married or unmarried
1. <u>Smt. Sullavan Kulkarni</u>	(1) <u>Wife</u>	<u>31 years</u>	<u>—</u>
2. <u>Rahul Kulkarni</u>	(2) <u>Son</u>	<u>8 years</u>	
3. <u>Atul Kulkarni</u>	(3) <u>Son</u>	<u>2 years</u>	

4. Vill. P.O. Neryapada (near)
Via. Bopbhadra
Dist. Maharashtra
(C.C.G.)

NOTE - The Government Servant should draw lines across the blank space provided after the last entry to prevent the introduction of any name after he has signed

Dated 08-12-2000 day of Friday 199

at Pokhrajore 4.30 PM.

Signature of Government Servant

Witnesses to signature
 (1) [Signature]
 (2) [Signature]

(To be filled in by Head of Office in the case of a Non Gazetted Govt.)

Nomination by Sush Singh Kulkarni

Deduction Asstt. Prof. (Botanical Science)

Office Govt. College Pokhrajore (Kankar)

Signature of Head of Office
[Signature]
 Dist. KANKAR M.P.

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी समुह बीमा योजना 1985

फॉर्म क्रमांक 8

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी समुह बीमा योजना, १९८५ के अन्तर्गत कर्मियों के लिए नाम निर्देशन जहाँ शासकीय कर्मचारी का कोई परिवार न हो और वह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का

नाम निर्देशन करना अनिवार्य है।

मैं एतद द्वारा सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर देय हुई या हो जाएगी अथवा अल्पवयस्क की आयु पूरी हो जाने पर देय हुई किन्तु मेरी मृत्यु के समय सरकार नहीं देती किसी भी रूप को जो, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी समुह बीमा योजना १९८५ के अन्तर्गत समुह बीमा को प्राप्त, मेरे निर्दिष्ट परिवार में प्राप्त करने के लिए उचित/व्यक्तिगत व्यक्ति/व्यक्तियों जो कि मेरे परिवार का/के सदस्य है के नाम निर्देशन कराने/करावें हैं और उन्हीं उक्त नाम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कराने/करावें हैं।

नाम निर्देशन करने वाले का नाम एवं पता	प्राप्त होने वाली राशि	आयु	* यदि कोई निमित्त नाम निर्देशन करना है	मेरे निमित्त नाम निर्देशन करने वाले का नाम एवं पता	उक्त नाम निर्देशन करने वाले का नाम एवं पता
1. <u>श्रीमती सुलवानी कूलकर्णी</u>	<u>माँ</u>	<u>31 वर्ष</u>			
2. <u>राहुल कूलकर्णी</u>	<u>पुत्र</u>	<u>8 वर्ष</u>			
3. <u>अतुल कूलकर्णी</u>	<u>पुत्र</u>	<u>2 वर्ष</u>			

टिप्पणी - शासकीय कर्मचारी को अपनी उचित प्रतिक्रिया के साथ नाम निर्देशन के आदेश एक साथ ही देनी चाहिए, ताकि उसके परिवार के सदस्यों को भी नाम निर्देशन न हो सके।

दिनांक 08-12-2000 माह दिसम्बर १९८००० माह पञ्चम्या ४-३० अमरावती

कर्मचारी के दो हस्ताक्षर

1. [Signature]
 2. [Signature]

नाम

शासकीय कर्मचारी के परिवार

आय

* यह नाम देना अनिवार्य है कि बीमा योजना के अन्तर्गत सदस्य समूह बीमा का उपयोग करे।
 * यह नाम देना शासकीय कर्मचारी निर्देशन करने के लिए आवश्यक है।
 * यह नाम देना शासकीय कर्मचारी निर्देशन करने के लिए आवश्यक है।

Dist. KANKAR M.P.

अथवा वेग है तथा जितना वे परिवर्तन



(पुनरुत्थान के लिए)

M. K. Gaur

Oath of Allegiance

1. Mukesh Kumar Saha do swear solemnly affirm that I will be faithfully bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established me. I will carry out the duties of my office loyally, and with impartiality."

(So help me God)

Signature Refugio Lopez

सुचना Notice

विश्व क्रांति की यह सेवा सुनिश्चित हो जाती है जबकी ओर से उसके पद के अनुसार ऐसा भीड़ दुर्बलक या सुदृढ़ हो जाय कि उससे सहाय या विरोधि व्यक्ति के लक्ष्यों का नुकसान हो जाय जो विश्व क्रांति में अपने पद से अच्छे कार्य के लिये मुराद के रूपमें दीविर हैक में रखे है यह पदाल नालर दोग हो सकेगा । शालसीय क्रांति की द्वाकन करट की यह एक क्रांति है ।

(Money deposited in the Saving Bank as security for the proper discharge of his official duties by the official to whom this service book is used is liable to forfeiture for any misconduct, act or omission on his part in virtue of his official position which involves loss of money either to the Govt. or to any person, this is a condition of his appointment in the Government Service.)

G.P.E. Account No.	
1. नाम तथा उपनाम (Name & Surname)	श्री सुदेश कुमार झा
2. पिता का नाम (Father's Name)	श्री विनोद कुमार झा
3. पता का शीर्षक (Postal Address)	ग्र. पी. उमेश्वर (जामना) विभाग, मध्याह्निक (Canteen)
4. वर्ग विधि द्वारा वर्ग में (Grade of branch by figure & words)	8. C. 1988
5. शीर्ष उंचाई (Exact height)	5. फीट 6. इंच
6. कानि एवं कानि (True Height), फीट	5. फीट 6. इंच
7. धारण के निशान (Mark of Identification)	जामना में निवास करने वाला
8. शारीरिक गुणवत्ता विधिक के समय (Educational Qualification)	परीक्षा का नाम, वर्ष, कोर्स या विधि, शीर्ष, विषय
(i) एडमिशन परीक्षा (Admission Exam)	2004, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)
(ii) एडमिशन परीक्षा (Admission Exam)	2006, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)
(iii) कोर्स का नाम (Course Name)	उच्च शिक्षा (Higher Education)
(iv) वि. वि. की. ए. ए. (V.V. K. A. A.)	2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)
(v) एडमिशन परीक्षा (Admission Exam)	2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)
9. कानि के बाएं हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों के निशान (Thumb and Finger Impression of Left hand)	कानि उंगली (Lame finger), कानि उंगली (Fore finger)
मध्य उंगली (Middle finger)	अंगूठा (Thumb)
अंगूठा (Ring finger)	
10. शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर (Signature of Govt. Servant with date after every 5 years)	2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)
(1) 2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)	
(2) 2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)	
(3) 2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)	
(4) 2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)	
(5) 2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)	
(6) 2010, जामना विभाग, उच्च शिक्षा (Higher Education)	

उत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी सप्ताह वीमा योजना 1985

हृदयार्थ

10

2017

① सुखी सुखी ॥

yes

③ સીમી સંડોઈ દાદ

Principal

Chandrapal Dadasena Gorti

Figure 1

Dist. Mahasamund (C.G.)

नाम निर्देशिका/नाम निर्देशिकाओं का/के नाम तथा पता/पते	शायरी का संकलन है	पृष्ठ	* प्रवेश का विवरण दिनांक सेना का नाम	* * किंग एटलास के वर्कट लोरे पर नाम निर्देशिका जोड़ि निर्माण हो जायेगा	उप शक्ति का नाम, पता व सम्बन्ध होने की तिथि शायरी का/के नाम निर्देशिका को पाने की दिनांक में नाम निर्देशिका या अधिपति सेना के नाम
1	2	3	4	5	6
1. श्री. दिनेश कुमार सिंह	शेखर	59	50%	नामांकित	
2. श्री. दिनेश कुमार सिंह	शेखर	53	50%	नामांकित	
3. श्री. दिनेश कुमार सिंह	शेखर	54	50%	नामांकित	

निष्कर्ष - भारतीय कर्मचारी को जहाँ अधिकार प्रदान के साथ जहाँ एक ही जगह, ताकि उसके समाधान के लिए कोई भी गुण स्वीकार न किए जा सकें।

12-11-11

1997

1715 — 1716 — 1717

2011

—प्राधान्य—विद्यार्थी

संसाधन के दो भागों

3. Subtraction of 2141 from 1

Blanchard 18712. 200. 11032nd
Principia

Genl. College Pittmore

Die Kunst des Umgangs mit C.C.

1. The following are the names of the persons who have been appointed to the various positions in the organization of the National Association of Manufacturers:

हमने कि यह जगह बहुत ही गंभीर है, हमें अपना निर्णय और कार्य करने की आवश्यकता है।

Expiry No.

Subscriber's Nomination

Provident Fund

I, when the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof, hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family as defined

Rule of the

to receive that amount that

Provident Fund in the event of my death before that amount has

become payable or having become payable has not been paid.

Herein the word necessary to complete the name of the Fund concerned shall mean the word necessary to complete the name of the Fund concerned.

as the may be

Name & Address of nominee	श्रीमती श्रीमती श्रीमती
Relationship with the Subscriber	पत्नी
Age	24
Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	पति का अकाल मृत्यु
Name address & relationship of the person if any at whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.	

DATED THIS 07 DAY OF 12 2011 AT ...

Two witnesses to Signature

(1) ...

Signature of subscriber

(2) ...

Signature of subscriber

College Pithora,
Distt. Mahesamund (C.G.)

Provident Fund No.

Provident Fund Nomination

CPS

M.F. Finance Dept. No. F.B.914/73 R-I/V dt. 10-9-75 See Rule 8 (3)

The ... having no family as defined in the rule 2 of ... Rules, hereby nominate the person/persons mentioned below, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid. This nomination shall become invalid in the event of my subsequently acquiring a family.

Name & Full address of the nominee/nominees	Relationship with the Subscriber	Age of nominee	Share payable to each	Contingencies on the happening of which nomination shall become invalid	Name, address & relationship of the person/persons if nomination right of the nominee shall pass in the event of his/her pre-deceasing subscriber
1 श्रीमती श्रीमती श्रीमती	पत्नी	24	100%	पति का अकाल मृत्यु	
2 ...					

Dated ... day of ... 2011

at ...

1. ...

Address ...

Signature ...

2 ...

Address ...

Signature ...

Signature of subscriber

Space for use by Head of Office/Accountant General's Office

Nomination by Smt./Smt./Ru. ...

Signature of Head of Office

Date of receipt nomination ...

Date ...

Signature of Head of Office

Chandrapal Dadsena Govt.
College Pithora,
Distt. Mahesamund (C.G.)

S. No.	Name of Family Members	Relationship With the employee
1.	पुता राम चामर	पत्नी
2.	श्री लक्ष्मी देवचंदी चामर	पुत्री
3.	श्री लक्ष्मी देवचंदी चामर	पुत्री
4.	श्री लक्ष्मी देवचंदी चामर	पुत्री

Govt College Pithoraj
Pithoraj, Rajasthan (India)

पार्थ कर्मांक ८

गणेश जयदीपिका कक्ष: २०१३/२०१४

मैं एल्फ़ का, रोना या खरों हूँ, मेरी मृत्यु हो जाने या देश हूँ या मेरा द्वारा अधिवासियों को अलग, मुझे कम ज़ेन पर संदेश हूँ कि नु मेरी मृत्यु के साथ अंतरात्मा नहीं ऐसी किन्ती थी 'कल्प को भी', कि 'कल्पना' नामक द्वारा 'उपनिषद्' प्रशासकों कर्मचारी मनुष्य की या या ना १९८५ के, अन्तर्गत मनुष्य को 'नाय', भीषे विविधित 'मरिचाल' में 'प्राप्त' करने के लिए 'विविधित' व्यक्ति / व्यक्ति को कि 'मेरी' 'परीक्षा' का / के 'मरणा' है के साथ 'विनिर्दिष्ट' करना / 'कर्म' है और 'मेरी' 'बर्फ' 'उत्तर' 'रक्षण' प्राप्त करने का अधिकार 'प्रदान' करना / 'कर्म' है ।

क्र.	समाज निर्देशिका/निर्देशिकाओं का/के नाम तथा पता/पते	शासक/संचालक/कार्यकारी से	आयु	* धर्म/कां * धर्म/कां धर्म/कां संस्था धर्म/कां आयु	** शिक्षण एकनाओं के वर्षों में धर्म/कां समाज निर्देशिका अधीनस्थानों का कार्य	इस निर्देशिका का नाम, क्या क्या कामों पर कार्य करे के लिए शासक/संचालक/कार्यकारी के पूर्व नाम निर्देशिकाओं के आगे की निर्देशिका के नाम निर्देशिका का अधीनस्थानों के नाम
1	श्री. माली बी.बी. माली	ए.बी.	50	100%	माली	इ.बी. माली
2	बी.बी. माली	ए.बी.				
3	डॉ. माली माली	ए.बी.				

दिनांक १५/०१/१५

माह अगस्त 2014 - अंगना

2156 m. 17 f. 21

अथवा

1. Edward G. (3772, 2007, 9/10/07) Principal

Govt College Pithora
Mabaurund (C.G.)

Govt. College Pithoraj
Distt. Muzaffargarh (C.S.)

फरवरी १९५५
प्राथमिक विद्यापीठ के बालिका

★ यह छात्र इस प्रकार था जिन का यहि कि भीषण यात्रा के अनर्गल सन्दर्भ समुदाय (कम का समवेग हो जाय)।
★ वे बहुत छोटे दूरी यात्राओं के कर्मचारी निर्देशन करता है, जिसका कोई भीषण न हो, यह इस छात्रों से निर्दिष्ट
कालों कि यह असका कोई भीषण हो जाता है जो तन्नास निर्देशन अधीनस्थान हो जायगा।

FORM -E CP-5

Nomination For Family Pension X

(REFERRED TO IN RULE 117)

I hereby nominate the person/persons mentioned below who, are the members of my family to receive in the order shown below the family pension which may be granted by Government in the event of my death after completion of 25 years qualifying superior services

Name and address of Nominee	Relationship with Government Servant	Age	Whether Married or unmarried
Smt. Belamati Smt X	wife X	30 X	Married X

N.B.- The Government servant should draw lines across the blank space provided after the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed

Dated.....day of.....

at

Witnesses Two signature

Signature of Government Servant

(1) Handwritten signature

(2)

(To be filled in by Head of office in the case of a Non Gazetted Govt)

Nomination by Tula Ram, S.O.

Signature of head of office

Designation Sub-Inspector

PRINCIPAL

Office - Govt College Pithora

Govt College Pithora
Principal
Signature of head of office

Form -A

[See Rule A (6) (a)]

NOMINATION FOR DEATH CUM- RETIREMENT GRATUITY

When the Govt. Servant has a family and wishes to nominate one there members there of these of I hereby nominate the person mentioned below who is member of my family and confer him the right to receive any gratuity as sanctioned by Government in the event of my death

1. Name & address of nominee	Smt. Belamati Smt
2. Relationship with Govt. Servant	wife
3. Age	30 years
4. Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	मृत्यु केवल परांतरण
5. Name, address & relationship of person, if any to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the Govt. servant.	① मेवराज राव ② चोखेरा राव

DATED THIS 25/8/2014 DAY OF अगस्त

AT पिठोरा

Two witnesses Signature

(1) Handwritten signature

Signature of Govt. servant

(2) Handwritten signature

Designation

(To be filled in by Head of Office in the case of a Non-Gazetted Officer)

Nomination by Tula Ram, S.O.

Designation Sub-Inspector Office Govt. College Pithora

(Signature & Designation of Head of Office)

PRINCIPAL
Govt College Pithora

Signature of head of office



CHANDRAPAL DADSENA GOVT. COLLEGE PITHORA, DISTRICT MAHASAMUND, (CHHATTISGARH)-493551

Registered Under section (2F) & (12B) of UGC act

Affiliated to pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.

Website www.govtcollegepithora.ac.in Phone No.07707-299373 Email. govtcollege.pithora@gmail.com

OFFICE OF THE PRINCIPAL

ORGANOGRAM OF ADMINISTRATION

